

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर

जिला— सूरजपुर (छ.ग.)

2019–20

विवरणिका



CITIZEN - CHARTER

मूल्य-50 रु.

शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर

जिला— सूरजपुर (छोगो)

स्थापना : 28 अगस्त 2008

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, अंमिकापुर (छोगो)

प्रवेश विवरणिका

सत्र : 2019–20

प्रकाशक

प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर

जिला — सूरजपुर(छोगो)

फोन नं. 07775296086

Visit: govtcollegebishrampurpur.ac.in, Email ID- gcbishrampur2016@gmail.com

प्राचार्य – संदेश

छत्तीसगढ़ का नवीन जिला सूरजपुर प्रारंभ से ही ऐतिहासिक एवं सुरम्य प्राकृतिक स्थलों का संगम रहा है। यह जिला शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। 28 अगस्त 2008 को स्थापित यह महाविद्यालय जिले के शैक्षणिक उन्नयन हेतु प्रयासरत है। इसकी अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई हैं। जिले की अधिकांश आबादी जनजातीय होने के कारण महाविद्यालय की चुनौतियां बढ़ जाती हैं।

आपके हाथों में जो प्रवेश विवरणिका है उसमें वर्तमान शैक्षणिक सत्र में दी जाने वाली गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पूर्ति के लिए हमारे परिसर में उपलब्ध सुविधाओं की संक्षिप्त जानकारी है। यह महाविद्यालय विगत 08 वर्षों से देश व समाज की सेवा में रत होकर छात्र-छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए प्रयासरत है। अपने स्थापना की अल्प अवधि में ही इस महाविद्यालय ने सरगुजांचल में अपनी विशिष्ट पहचान बनायी है।

“सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः” की भारतीय अवधारणा हमें मानवता के कल्याण की ओर अग्रसर करती है। महाविद्यालय इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम समाज के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। प्रत्येक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास ही हमारा लक्ष्य है। स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण की विशेषताओं से युक्त इस महाविद्यालय परिसर में आप जैसे प्रतिभाशाली तथा जीवन में कुछ कर गुजरने का स्वप्न देखने वाले छात्र-छात्राओं का मैं स्वागत करता हूं।

आप सबका भविष्य उज्जवल एवं मंगलमय हो।

डॉ० पी० एन० सिंह

प्रभारी प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर
जिला – सूरजपुर (छ.ग.)

पिलखा पहाड़ की हरियाली से सुशोभित, रेनुका नदी का पवित्र धारा से संतृप्त एवं काले हिरे के विशाल भंडार को अपने गर्भ में हुए विश्रामपुर क्षेत्र में एक तरफ आदिवासी बाहुल्यता के कारण गाँव जहाँ मांदर की थाप पर सुआ, कर्मा, शैला आदि लोक नृत्यों पर ध्येयता हुए नजर आते हैं, वही विश्रामपुर भटगाँव, कुम्दा में बसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आये कालरी कर्मीयों में देश की संस्कृतियों की झलक दिखाई देती है।

छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में स्थित धनधान्य से भरपूर विश्रामपुर क्षेत्र सुदूर ग्रामिण अंचल में निवास करने वाले छात्र/छात्राओं एवं कालरी कर्मीयों के पाल्यों की उच्च ज्ञान पिपासा को तृप्त करने के उच्च आदर्शों एवं लक्ष्यों के साथ दिनांक 28/08/2008 को विश्रामपुर में शासकीय महाविद्यालय का विधिवत शुभारंभ हुआ। यह महाविद्यालय अनुपपुर –गुमला राज्यमार्ग क्र. 78 पर जिला मुख्यालय अम्बिकापुर से 28 किमी, पूर्व में स्थित है। यह शहर अनुपपुर– अम्बिकापुर रेलमार्ग का एक महत्वपूर्ण स्टेशन मार्ग भी है।

अपने स्थापना काल से ही निरंतर प्रगति करते हुए इस महाविद्यालय में तीनों संकायों – कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में स्नातक की कक्षाएं संचालित हैं। महाविद्यालय संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) से संबद्ध है। यहां से उत्तीर्ण अनेक छात्र-छात्राओं को नौकरी एवं स्वरोजगार के अवसर मिले हैं। महाविद्यालय के योग्य एवं लगनशील सहाय्यापकों के सकारात्मक प्रयासों से स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण, स्वच्छ परिवेश, शांतिपूर्ण माहौल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों में महाविद्यालय की गरिमा में अभिवृद्धि हुई है।

महाविद्यालय अपने नवीन भवन में संचालित है। महाविद्यालय में पर्याप्त क्लास रूम, राष्ट्रीय सेवा योजना, रेडकास, ग्रंथालय, खेलकूद, पेयजल, फस्टर एड सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, अनुशासन समिति, एण्टी रैगिंग कमेटी, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, छात्र कामन रूम, कैम्प (राष्ट्रीय सेवा योजना/राष्ट्रीय कैडेट कोर के विद्यार्थियों के लिए) एवं स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। नियमित छात्र-छात्राओं की मासिक, त्रैमासिक, छःमाही एवं वार्षिक परीक्षा, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को मैट्रिकोल्टर, बी.पी.एल एवं विकलांग छात्रवृत्ति की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) ने महाविद्यालय को स्नातक कक्षाओं के लिए स्वाध्यायी परीक्षा केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की है।

शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर, जिला— सूरजपुर (छोगो)

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम

सनातक (बी.ए.) बी.ए. में उपलब्ध विषय –

1. अनिवार्य विषय –

(अ) आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (ब) पर्यावरण अध्ययन (प्रथम वर्ष)

2. वैकल्पिक विषय –

1. हिन्दी साहित्य अथवा अंग्रेजी साहित्य 2. राजनीति विज्ञान 3. समाज शास्त्र 4. भूगोल 5. अर्थशास्त्र 6. इतिहास

नोट – छात्र/छात्राओं को उपरोक्त में से किन्हीं तीन वैकल्पिक विषयों का अध्ययन करना होगा।

विज्ञान संकाय

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. बी.एससी. | (गणित समूह) |
| 2. बी.एससी. | (जीव विज्ञान समूह) |

बी.एस.सी. में उपलब्ध विषय –

1. अनिवार्य विषय –

(अ) आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (ब) पर्यावरण अध्ययन (प्रथम वर्ष)

2. वैकल्पिक विषय –

- | | |
|-----------------------|--|
| क. गणित समूह – | 1. गणित 2. रसायनशास्त्र 3. भौतिक शास्त्र |
| ख. जीव विज्ञान समूह – | 1. वनस्पति शास्त्र 2. जन्तुविज्ञान 3. रसायनशास्त्र |

वाणिज्य संकाय

1. बी.कॉम. प्रथम वर्ष – सभी अनिवार्य विषय

नोट : कला/विज्ञान द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

महाविद्यालय में कक्षावार उपलब्ध सीटों की संख्या

पाठ्यक्रम का नाम उपलब्ध स्थान

बी.ए प्रथम, (140) द्वितीय (140) एवं तृतीय वर्ष (100)

बी.एससी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष गणित समूह (प्रत्येक कक्षा) 30

बी.एससी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष जीवविज्ञान समूह (प्रत्येक कक्षा) 70

बी.कॉम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (प्रत्येक कक्षा) 100

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर जिला सूरजपुर (छोगो)

शुल्क विवरण तालिका (सत्र 2019–20)

कक्षा क्र0	शुल्क विवरण	प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राएँ हेतु			
		कला/वाणिज्य		विज्ञान	
		Boys Gen/OBC	Girls + Boy ST/SC	Boys Gen/OBC	Girls + Boy ST/SC
1	शिक्षण शुल्क	123	8	143	28
2	अवधान राशि	60	60	100	100
3	संघ प्रवेश शुल्क	2	2	2	2
4	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5	5	5	5
5	परिचय पत्र	20	20	20	20
6	सायकल स्टैण्ड शुल्क	50	50	50	50
7	महाविद्यालय विकाश शुल्क	30	30	30	30
8	कामन रूम/वाचनालय	20	20	20	20
9	आन्तरिक मुल्यांकन शुल्क	80	80	80	80
10	ग्रंथालय परिचय पत्र	20	20	20	20
11	जनभागीदारी शुल्क	800	800	800	800
12	महाविद्यालय छात्र संघ शुल्क	40	40	40	40
13	क्रीड़ा शुल्क	22	22	22	22
14	सम्मिलित निधि शुल्क	2	2	2	2
15	स्नेह सम्मेलन/वार्षिकोत्सव	100	100	100	100
16	चिकित्सा शुल्क	3	3	3	3
17	नामांकन शुल्क	120	120	120	120
18	युवा गतिविधि शुल्क	20	20	20	20
19	शारिरिक कल्याण शुल्क	170	170	170	170
20	वि.वि. पुस्तकालय शुल्क	25	25	25	25
21	रेड क्रास शुल्क	25	25	25	25
	Total	1737	1622	1797	1682

टीप :-

1. शासन के निर्देशानुसार सभी छात्राएं शिक्षण शुल्क से मुक्त होंगे।
2. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के छात्र/छात्राएं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे।
3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संतान को माता-पिता के शासकीय सेवा के प्रमाण पत्र एवं वेतन/आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क में पूरी छूट प्रदान की जावेगी।

उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय /अशासकीय महाविद्यालयों की
स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त
सन् 2019-20

1. प्रयुक्ति:-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धान्त छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए तागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कडाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम समेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि:-

- 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

- 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क)में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक क ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान व में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ख ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को व.प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- 2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर ही महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।

- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में वार कासिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेवकशन (अधिकतम 4 सेवकशन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वास्थ्य संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अंककारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिकार देय है, वहां अधिकार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण - पत्र पर प्रवेश दिया गया है रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति का निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर गभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप रो वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जूलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र यो जाने की रिथ्ति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संरक्षण से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की रिथ्ति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से बचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ- साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रंगिन / अनुशासनहीनता / तोडफोड आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलवन्ड लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को पेशित करेंगे जहां कि छात्र / छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

५. प्रवेश की पात्रता :-

- 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-**

 - (क) छत्तीसगढ़ के मूल /स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी /राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत वैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र /पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षार उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
 - (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

 - (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। वी.एच.एस.सी. प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

 - (क) वी.कॉम./वी.एच.एस.सी./वी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. काम. /एम.एच.एस-सी. /एम.ए. पूर्व एवं निवेदित विषय लेकर, वी.एस.सी.उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

 - (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ग) एल.एल.बी. प्रथम /द्वितीय एवं एल.एल.एम.पूर्वाद्व परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा :-

 - (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40% तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, वहां 45% होगी। एल.एल.एम.पूर्वाद्व में 55 % अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा:-

- 6.1 सेन्ट्रल वार्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कॉर्सिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट वार्ड की 10 + 2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में रिथेट विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य हैं। उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की परीक्षा के मकक्ष मान्य हैं। उस्मानिया एवं काकतीय विश्वविद्यालय, जैसे बी.ए./बी.काम. डायरेक्ट बन सिंटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं हैं।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है। की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम/बी.एस.-सी/बी.एच.एस.-सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागु होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने की पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जाये। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम/द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रत्युत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को रक्षण रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंवर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 % पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त केडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व रूप में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो, चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जॉच करवाये एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाये।

9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। परन्तु आयु सीमा के बन्धन में छात्राओं का 3 वर्ष की छूट रहेगी।

(ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्यार्थियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागु नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी आयु 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी।

(घ) संरक्षित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी के उसकी दिनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश

- की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अधिकार के उपरान्त लगाने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियमित का
- अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-**
- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा।
- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय हैं, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर, तथा
- (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान होतो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग - अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी।
- 11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता:-**
- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक /स्नातकोत्तर /विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित /भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /स्वाधायारी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक /स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र /स्वाधायारी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/ तहसील /जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/ तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/ तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जायेगा।
- 11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।
- 12. आरक्षण:-**
- छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-**
- 12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के क्रमशः 15 % तथा 18 % स्थान आरक्षित होगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। प्रवेश की अंतिम तिथि पर 5 बजे के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त सीटों को समिति अ.जा. एवं अ.ज.जा. के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. से गुणानुक्रम में भर कर सूची को सूचना पतल पर चर्पा करेंगे।
- 12.2 पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 % स्थान आरक्षित होगे।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 % स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों को 10 % अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा।
- 12.4 सभी वर्गों के उपलब्ध स्थानों में से 30 % स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विधार्थी किसी संवर्ग जैसे -स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर समय-समय पर शासन द्वारा जानी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 13. अधिभार:-**
- अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समर्त प्रमाण - पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद मे लाये जाने /जमा किये जाने वाले प्रमाण -पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा ,एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा ।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./ स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स /गाइड्स /रेन्जर्स /सेवर्स के अर्थ मे पढ़ा जावे ।

- (क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ए सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत
- (ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. बी सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत
- या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स
- (ग) सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत
- (घ) राज्य स्तरीय संचालनायीन एन.सी.सी.प्रतियोगिता मे गुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को 04 प्रतिशत
- (च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड मे छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्स मे भाग लेने वाले विधार्थी को 05 प्रतिशत
- (छ) राज्यपाल स्काउट्स 05 प्रतिशत
- (ज) राष्ट्रपति स्काउट्स 10 प्रतिशत
- (झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट 10 प्रतिशत
- (य) ड्यूक ऑफ इंडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट 15 प्रतिशत
भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस. के
लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले केडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाद्यक्रम मे उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा मे उसी विषय मे प्रवेश लेने पर

10 प्रतिशत

13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष मे प्रवेश लेने पर

05 प्रतिशत

13.4 खेलकूद /साहित्यिक /सांस्कृतिक /विविज /रूपांकन प्रतियोगिताएँ :-

- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला ,संभार स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग /क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता मे :- 10 प्रतिशत
- (क) प्रथम ,द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
- (2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) मे उल्लेखित विभाग /संचालनालय द्वारा आयोजित अंतरसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रिय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता मे अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता मे :-
- (क) प्रथम,द्वितीय ,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
- (ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय ,भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं मे :-
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे प्रथम ,द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत
- (ख) प्रथम,द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत

13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा विज्ञान /सांस्कृतिक /साहित्यिक /कला

10 प्रतिशत

क्षेत्र मे चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को

13.6 छत्तीसगढ़ शासन /म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे :-

10 प्रतिशत

- (क) छत्तीसगढ़ /म.प्र.का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत
- (ख) प्रथम,द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

13.7 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को

01 प्रतिशत

13.8 विशेष प्रोत्साहन:-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित मे एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड /एशियाड /स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता मे भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र मे उन कक्षाओं मे सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है ।

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक ,खेल एवं युवका कल्याण ,छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रापणित किया गया हो ,एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय मे प्रस्तुत

किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- 13.9 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु रकूल रत्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण - पत्र स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमीक सत्र तक का प्रमाण - पत्रों अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र में प्रमाण - पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा में संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5% घटाकर उनका गुणाक्रम निर्धारित किया जारेगा, अधिभार घटें हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. शोध छात्र:-

शासकीय महाविद्यालय में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुरपवाईजर के अंतर्गत विश्वविद्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। शोध छात्र संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण - पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र इसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं। जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रिम किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रसित करेंगे।

16. तिशोष:-

- 16.1 जाली प्रमाण पत्रों गलत जानकारी जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे निरस्त करने की पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होंगे।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होंगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा स निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होंगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरक्षित निधि के अत्तिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरसर / संलग्न कर सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होंगा।

संकाय सदस्य

महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक की जानकारी

(दिनांक – 01.12.2019 की स्थिति में)

संस्था प्रमुख – डॉ० पी. एन. सिंह (प्रभारी प्राचार्य)

क्र०	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी का नाम
1	प्राचार्य	—	—
2	सहा. प्राध्यापक	अँग्रेजी	—
3	सहा. प्राध्यापक	हिन्दी	Dr. R.K.Singh
4	सहा. प्राध्यापक	समाज शास्त्र	—
5	सहा. प्राध्यापक	अर्थशास्त्र	Dr.P.N.Singh
6	सहा. प्राध्यापक	इतिहास	—
7	सहा. प्राध्यापक	राजनीति शास्त्र	—
8	सहा. प्राध्यापक	रसायन शास्त्र	—
9	सहा. प्राध्यापक	भौतिकी शास्त्र	—
10	सहा. प्राध्यापक	प्राणी शास्त्र	—
11	सहा. प्राध्यापक	वनस्पति शास्त्र	Mr.D.P.Kori
12	सहा. प्राध्यापक	गणित	—
13	सहा. प्राध्यापक	वाणिज्य	Dr.Pradeep Ku. Srivastava
14	सहा. प्राध्यापक	भूगोल	—
15	सहा०ग्रेड 1	1	Dr.Kuntal Kishor
16	सहा०ग्रेड 2	1	Mr.R.R. Sahu
17	सहा०ग्रेड 3	1	—
18	प्रायोगशाला तक०	3	—
19	भृत्य	भृत्य	—

आवेदक पत्र क्रमांक

वर्गसमान्य/पि.वं./अ.ज./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक

कक्षा

रवत समूह

शासकीय महाविद्यालय, विश्रामपुर (सरगुजा)

प्रवेश आवेदन पत्र 2019-20

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में)
अंग्रेजी (बड़े अक्षरों में)
2. पिता का नाम
माता का नाम
जाति व्यवसाय
वार्षिक आय
3. पिता जीवित न हो तो अभिभावक का नाम
4. आवेदक की जन्म तिथि (अंकों में)
(शब्दों में)
5. आवेदक का स्थायी पता दूरभाष/मो.न.
6. आवेदक का स्थानीय पता दूरभाष/मो.न.
7. कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए
विषय - 1 2
3 4
8. अर्हताकारी परीक्षा का नाम
प्राप्तांक / पूर्णांक प्रतिशत

छात्र/ छात्राएँ अपनी
नवीनतम पासपोर्ट
साईज फोटो चिपकाएँ
एवं हस्ताक्षर करें

प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन/जांचोपरांत अस्थायी प्रवेश की अनुशंसा की जाती है दिनांक तक प्रवेश शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा। प्रवेश संयोजक	कार्यालयीन उपयोग हेतु :- शारकीय शुल्क रसीद क्र राशि अशासकीय शुल्क रसीद क्र राशि दिनांक शुल्क लिपिक
--	--

10. छत्तीसगढ़ में निवास की अवधि
11. शिक्षण संस्था गत वर्ष अध्ययन किया
12. क्या आप किसी परीक्षा में अनुचित साधन के उपयोग हेतु दण्डित हुए हैं ? यदि हों तो पूर्ण विवरण दे ।

13. अहंताकारी परीक्षा:- (विंगत दो वर्षों में उत्तीर्ण परीक्षा)					
परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्तांक पूर्णांक	श्रेणी	बोर्ड/वि.वि.का

14. गुरुखासीदास विश्वविद्यालय का नामांकन क्रमांक (यदि हो)
15. खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस. आदि उल्लेखनीय उपलब्धियों का वर्णन
16. आवेदक सेवारत हो तो पढ़ कार्यालय का नाम
17. सहोदर शुल्क मुक्ति का पात्रता हो तो -
सहोदर का नाम प्रवेश की कक्षा
प्रवेश रशीद क्रमांक दिनांक राशि
- (प्रवेश रसीद की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करें)

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची-

- स्थानांतरण प्रमाण- पत्र (मूल प्रति)
- चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
- अहंताकारी परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति (दो प्रति.)
- अ.ज./अ.ज.जा./पि.वर्न/ संबंधित प्रमाण - पत्र की सत्यापित प्रति (यदि आवश्यक हो)
- छत्तीसगढ़ के तृतीय/चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (यदि आवश्यक हो तो)
- अन्य प्रमाण पत्र(ब्लड ग्रुप, खेल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. आदि)
- जन्म तिथि प्रमाण- पत्र (10 वीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति)
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का कार्ड की सत्य प्रतिलिपि

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं.....ने महाविद्यालय के नियमों एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा इसके पालन की प्रतिज्ञा करता / करती हूँ कि मैं किसी भी अव्यवरथा या अनुशासन हीनता एवं हिसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लूँगा / लूँगी। मैं महाविद्यालय की देय राशि का समय पर भुगतान करता / करती रहूँगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में यदि कोई परिवर्तन होगा, तो मैं तुरन्त सूचना दूँगा / दूँगी। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है, मेरे विरुद्ध विगत परीक्षा में, कोई अनुचित साधन प्रकरण ढर्ज नहीं हुआ है। मेरे विरुद्ध कोई न्यायालयीन प्रकरण नहीं चल रहा है।

यदि मैं अव्यवस्था अनुशासन हीनता, हिसात्मक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण का दोषी पाया / पाई गई तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। मेरी अनुपस्थिति 75% से कम होने या ईकाई, ब्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित होने पर मुख्य परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने से वंचित होने का सम्पूर्ण दायित्व मेरा होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक.....

पूरा नाम.....

पिता/पालक का घोषणा पत्र

मैं.....यह घोषणा करता हूँ कि
मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्या (नाम).....

द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है। मैंने महाविद्यालय के नियमों का अध्ययन कर लिया है। महाविद्यालय में उसके अध्ययन काल में आचरण, कक्षाओं में उपस्थिति तथा दैनिकी, प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूँगा तथा इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को सहयोग देता रहूँगा।

पिता/पालक का हस्ताक्षर

दिनांक.....

पूरा नाम.....

इस आवेदन को ग्रंथालय में जमा करें

**कार्यालय (ग्रंथालय), प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय विश्वामित्र, जिला-सरगुजा (छ.ग.)
ग्रंथालय सदस्यता आवेदन-पत्र 2019-20**

सदस्य संस्था

रीडर्स कार्ड

संख्या

छात्र/छात्रा का नाम.....	कक्षा.....	पासपोर्ट
पिता श्री.....	साईज
विषय/संकाय.....	सेवारत.....	फोटो
प्रवेश रसीद क्रमांक:- शासकीय.....	स्नातकोत्तर.....	संलग्न करे।
दिनांक.....	
वर्तमान पता:- मकान नं.....	वार्ड संख्या.....	
ग्राम/शहर.....	थाना.....	
तहसील.....	पोस्ट ऑफिस.....	
जिला.....	पिन कोड.....	फोन नंबर.....
		मोबाइल नंबर.....
स्थायी पता:- मकान नं.....	वार्ड संख्या.....	
ग्राम/शहर.....	थाना.....	
तहसील.....	पोस्ट ऑफिस.....	
जिला.....	पिन कोड.....	फोन नंबर.....
		मोबाइल नंबर.....
मै.....	आत्मज.....	कक्षा.....
सेवसन.....	सत्र.....	मै.....
हूं। मैं ग्रंथालय का नियमित सदस्य बनना चाहता हूं।		विषय में प्रवेश प्राप्त किया

सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने की स्थिति में पुस्तकों की वापसी जमा करने हेतु अनुबंधित हूं। ग्रंथालय के नियमों के पालन करने हेतु प्रतिबंधित हूं। प्रत्येक 14 दिवस के भीतर पुस्तकों की वापसी करने हेतु वचनवद्ध हूं। पालन न करने पर 14 दिवस पश्चात्-प्रथम सप्ताह-50 पैसे प्रति पुस्तक प्रति दिवस (21 दिवस) विलम्ब शुल्क का भुगतान करनगी। दूसरे सप्ताह (28 दिवस तक) 1 रु. प्रति पुस्तक प्रतिदिन विलम्ब शुल्क अदा करनगा/करनगी।

पुस्तक/पुस्तके स्वच्छ/साफ-सुधरा रखूँगा/रखूँगी। विद्वप होने पर अथवा पुस्तके / फटने/खराब होने पर पुस्तक का वर्तमान बाजार मध्य/पुस्तक गुप्तने के 7 दिवस की भीतर डाक व्यय सहित राहश जमा करनगा।

नियमानुसार पुस्तके प्राप्त कर चेक कर घर ले जाउंगा/जाउंगी। प्रदाय की तिथि से पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तकों में आयी खराबी की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मेरे नाम ग्रंथालय की पूर्व पुस्तकें नहीं हैं।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

अनुबंध-पत्र
पिता/पालक द्वारा
भरा जावे

मैं.....आत्मज भी.....

अनुबंध करता हूँ कि मेरा पुत्र/पाल्य.....का
ग्रंथालय से प्राप्त पुस्तकों को नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर बापिस जमा करना रहेगा। तथा पुस्तकों की सुरक्षात्मक

दंग से रख-रखाव करता रहेगा। परीक्षा के एक माह पूर्व पुस्तकालय अद्वेय प्रयाण पत्र प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित होगा।

स्थान:-.....

दिनांक.....

पिता/पालक के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

मकान नम्बर.....

वाई.....

ग्राम/शहर.....

पोस्ट ऑफिस.....

पिन कोड.....

फोन नं.....

मोबाइल नंबर.....

सदस्यता स्वीकृति/अस्वीकृत किया जाता है।

ग्रंथपाल

प्राचार्य

महाविद्यालयीन गतिविधियां



महाविद्यालय परिसर में अनुशासन एवं स्वच्छता बनाएं रखें।




महाविद्यालय परिसर में पान, तम्बाखू, गुटखा, सिगरेट एवं अन्य मद्यपान आदि का उपयोग वर्जित है।

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर

जिला— सूरजपुर (छ.ग.)

2018–19

विकरणिका



CITIZEN - CHARTER

मूल्य-50 रु.

शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर

जिला— सूरजपुर (छोगो)

स्थापना : 28 अगस्त 2008

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, अंमिकापुर (छोगो)

प्रवेश विवरणिका

सत्र : 2018–19

प्रकाशक

प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर
जिला — सूरजपुर(छोगो)
फोन नं. 07775296086

Visit: govtcollegebishrampurpur.ac.in, Email ID- gbishrampur2016@gmail.com

प्राचार्य – संदेश

छत्तीसगढ़ का नवीन जिला सूरजपुर प्रारंभ से ही ऐतिहासिक एवं सुरम्य प्राकृतिक स्थलों का संगम रहा है। यह जिला शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। 28 अगस्त 2008 को स्थापित यह महाविद्यालय जिले के शैक्षणिक उन्नयन हेतु प्रयासरत है। इसकी अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई हैं। जिले की अधिकांश आबादी जनजातीय होने के कारण महाविद्यालय की चुनौतियां बढ़ जाती हैं।

आपके हाथों में जो प्रवेश विवरणिका है उसमें वर्तमान शैक्षणिक सत्र में दी जाने वाली गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पूर्ति के लिए हमारे परिसर में उपलब्ध सुविधाओं की संक्षिप्त जानकारी है। यह महाविद्यालय विगत 08 वर्षों से देश व समाज की सेवा में रत होकर छात्र-छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए प्रयासरत है। अपने स्थापना की अल्प अवधि में ही इस महाविद्यालय ने सरगुजांचल में अपनी विशिष्ट पहचान बनायी है।

“सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः” की भारतीय अवधारणा हमें मानवता के कल्याण की ओर अग्रसर करती है। महाविद्यालय इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम समाज के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। प्रत्येक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास ही हमारा लक्ष्य है। स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण की विशेषताओं से युक्त इस महाविद्यालय परिसर में आप जैसे प्रतिभाशाली तथा जीवन में कुछ कर गुजरने का स्वप्न देखने वाले छात्र-छात्राओं का मैं स्वागत करता हूं।

आप सबका भविष्य उज्ज्वल एवं मंगलमय हो।

डॉ० पी० एन० सिंह

(प्रभारी प्राचार्य)
शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर
जिला – सूरजपुर (छ.ग.)

महाविद्यालय का परिचय

पिलखा पहाड़ की हरियाली से सुशोभित, रेनुका नदी का पवित्र धारा से संतृप्त एवं काले हिरे के शाल भंडार को अपने गर्भ में हुए विश्रामपुर क्षेत्र में एक तरफ आदिवासी बाहुल्यता के कारण गाँव जहाँ मांदर थाप पर सुआ, कर्मा, शैला आदि लोक नृत्यों पर ध्यान करते हुए नजर आते हैं, वही विश्रामपुर भटगाँव, कुम्दा बसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आये कालरी कर्मियों में देश की संस्कृतियों की झलक दिखाई देती है।

छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में स्थित धनधान्य से भरपूर विश्रामपुर क्षेत्र सुदूर ग्रामिण अंचल में निवास करने वाले छात्र/छात्राओं एवं कालरी कर्मियों के पाल्यों की उच्च ज्ञान पिपासा को तृप्त करने के लिए आदर्श एवं लक्ष्यों के साथ दिनांक 28/08/2008 को विश्रामपुर में शासकीय महाविद्यालय का विधिवत उद्घारण हुआ। यह महाविद्यालय अनुपपुर –गुमला राज्यमार्ग क्र. 78 पर जिला मुख्यालय अम्बिकापुर से 28 किमी. पूर्व में स्थित है। यह शहर अनुपपुर– अम्बिकापुर रेलमार्ग का एक महत्वपूर्ण स्टेशन मार्ग भी है।

अपने स्थापना काल से ही निरंतर प्रगति करते हुए इस महाविद्यालय में तीनों संकायों – कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में स्नातक की कक्षाएं संचालित हैं। महाविद्यालय संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) से संबद्ध है। यहां से उत्तीर्ण अनेक छात्र-छात्राओं को नौकरी एवं स्वरोजगार के अवसर मेले हैं। महाविद्यालय के योग्य एवं लगनशील सहाय्यापकों के सकारात्मक प्रयासों से स्वस्थ शैक्षणिक विवारण, स्वच्छ परिवेश, शांतिपूर्ण माहौल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों में महाविद्यालय की गरिमा में अभिवृद्धि हुई है।

महाविद्यालय अपने नवीन भवन में संचालित है। महाविद्यालय में पर्याप्त क्लास रूम, राष्ट्रीय सेवा योजना, डकास, ग्रंथालय, खेलकूद, पेयजल, फर्स्ट एड सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, अनुशासन समिति, एण्टी रैगिंग रमेटी, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, छात्रा कामन रूम, कैम्प (राष्ट्रीय सेवा योजना/राष्ट्रीय कैडेट कोर के विद्यार्थियों के लिए) एवं स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। नियमित छात्र-छात्राओं की मासिक, विमासिक, छमाही एवं वार्षिक परीक्षा, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को डिक्रिकोल्टर, बी.पी.एल एवं विकलांग छात्रवृत्ति की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) ने महाविद्यालय को स्नातक कक्षाओं के लिए विधायी परीक्षा केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की है।

शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर, जिला— सूरजपुर (छोगो)

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम

नातक (बी.ए.) बी.ए. में उपलब्ध विषय

. अनिवार्य विषय –

(अ) आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (ब) पर्यावरण अध्ययन (प्रथम वर्ष)

. वैकल्पिक विषय –

1. हिन्दी साहित्य अथवा अंग्रेजी साहित्य
2. राजनीति विज्ञान
3. समाज शास्त्र
4. भूगोल
5. अर्थशास्त्र
6. इतिहास

टोट – छात्र/छात्राओं को उपरोक्त में से किन्हीं तीन वैकल्पिक विषयों का अध्ययन करना होगा।

विज्ञान संकाय

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. बी.एससी. | (गणित समूह) |
| 2. बी.एससी. | (जीव विज्ञान समूह) |

१. एस.सी. में उपलब्ध विषय –

. अनिवार्य विषय –

(अ) आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (ब) पर्यावरण अध्ययन (प्रथम वर्ष)

. वैकल्पिक विषय –

- | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| ५. गणित समूह – | 1. गणित | 2. रसायनशास्त्र | 3. भौतिक शास्त्र |
| ६. जीव विज्ञान समूह – | 1. वनस्पति शास्त्र | 2. जन्तुविज्ञान | 3. रसायनशास्त्र |

वाणिज्य संकाय

1. बी.कॉम. प्रथम वर्ष – सभी अनिवार्य विषय

टोट : कला/विज्ञान द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

महाविद्यालय में कक्षावार उपलब्ध सीटों की संख्या

पाठ्यक्रम का नाम उपलब्ध स्थान

बी.ए प्रथम, (140) द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (प्रत्येक कक्षा) 100

बी.एससी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष गणित समूह (प्रत्येक कक्षा) 30

बी.एससी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष जीवविज्ञान समूह (प्रत्येक कक्षा) 70

बी. कॉम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (प्रत्येक कक्षा) 100

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर जिला सूरजपुर (छोगो)

शुल्क विवरण तालिका (सत्र 2018–19)

क्र०	कक्षा शुल्क विवरण	प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं हेतु			
		कला/वाणिज्य		विज्ञान	
		Boys Gen/OBC	Girls + Boy ST/SC	Boys Gen/OBC	Girls + Boy ST/SC
1	शिक्षण शुल्क	123	8	143	28
2	अवधान राशि	60	60	100	100
3	संघ प्रवेश शुल्क	2	2	2	2
4	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5	5	5	5
5	परिचय पत्र	20	20	20	20
6	सायकल स्टैण्ड शुल्क	50	50	50	50
7	महाविद्यालय विकाश शुल्क	30	30	30	30
8	कामन रूम/वाचनालय	20	20	20	20
9	आन्तरिक मुल्यांकन शुल्क	80	80	80	80
10	ग्रंथालय परिचय पत्र	20	20	20	20
11	जनभागीदारी शुल्क	800	800	800	800
12	महाविद्यालय छात्र संघ शुल्क	40	40	40	40
13	क्रीड़ा शुल्क	22	22	22	22
14	सम्मिलित निधि शुल्क	2	2	2	2
15	स्नेह सम्मेलन/वार्षिकोत्सव	100	100	100	100
16	चिकित्सा शुल्क	3	3	3	3
17	नामांकन शुल्क	120	120	120	120
18	युवा गतिविधि शुल्क	20	20	20	20
19	शारिरिक कल्याण शुल्क	170	170	170	170
20	वि.वि. पुस्तकालय शुल्क	25	25	25	25
21	रेड क्रास शुल्क	25	25	25	25
Total		1737	1622	1797	1682

टीप :—

1. शासन के निर्देशानुसार सभी छात्राएं शिक्षण शुल्क से मुक्त होंगे।
2. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के छात्र/छात्राएं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे।
3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संतान को माता—पिता के शासकीय सेवा के प्रमाण पत्र एवं वेतन/आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क में पूरी छूट प्रदान की जावेगी।

उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय /अशासकीय महाविद्यालयों की
स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त
सन् 2018-19

1. प्रयुक्ति:-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत् अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समरत् प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कडाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम समेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि:-

- 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समरत् प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर विना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

- 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क)में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

शपटीकरण :-

आवेदक क ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ब में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है स्विकृत स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ख ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को व.प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- 2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।

- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में वार्षिक द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेवकशन (अधिकतम 4 सेवकशन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिकार देय हैं, वहां अधिकार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण - पत्र पर प्रवेश दिया गया है रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति का निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जूलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ - साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रोगी / अनुशासनहीनता / तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र / छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी / राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत वैकंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र / पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षार उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 रनातक रत्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को रनातक रत्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यी.एच.एस.सी. प्रथम वर्ष में किरी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) रनातक रत्तर पर प्रथम / द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। रनातक द्वितीय रत्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 रनातकोल्तर रत्तर नियमित प्रवेश:-

- (क) यी.कॉम./यी.एच.एस.सी./यी.ए. रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. काम./एम.एच.एस-सी./एम.ए. पूर्व एवं नियमित विषय लेकर, यी.एस.सी.उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) रनातकोल्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के रनातकोल्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि रनातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.यी.प्रथम / द्वितीय एवं एल.एल.एम.पूर्वाद्व परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.यी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा :-

- (क) विधि रनातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40% तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, वहां 45% होगी। एल.एल.एम.पूर्वाद्व में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा:-

- 6.1 सेन्ट्रल बार्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.यी.एस.ई.) इंडियन कॉसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बार्ड की 10 + 2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य हैं। उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की परीक्षा के मकक्ष मान्य हैं। उसमानिया एवं काकतीय विश्वविद्यालय, जैसे यी.ए./यी.काम. डायरेक्ट वन सिटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं हैं।

- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है। की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 7. बाह्य आवेदकों का प्रतेश :-**
- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम /बी.एस.-सी /बी.एच.एस-सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागु होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम /द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों /विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने की पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जाये। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम ,द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।
- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक ,निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा भी जा सकती है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
- 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट)प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम /द्वितीय /तृतीय में पूरक /एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.3 विधि स्नातक प्रथम /द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 %पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त केडिका 7 के खण्ड 1एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र /छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।
- 9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-**
- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनहूं माना जायेगा , उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।
- 9.2 जिनके विलुप्त न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व रूप में छात्रों /अधिकारियों /कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार /मारपीट करने के गंभीर आरोप हों /चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।
- 9.3 महाविद्यालय में टोड-फोड करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले /रेगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है।प्राचार्य इस हेतु कमेंटी गठित कर जॉच करवाये एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाये।
- 9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। परन्तु आयु सीमा के बन्धन में छात्राओं का 3 वर्ष की छूट रहेगी।
 (ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार /भारत सरकार के मंत्रालय /कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागु नहीं होगा।
 (ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी आयु 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी।
 (घ) संरकृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
 (ड) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /पिछड़े वर्ग /विकलांग विद्यार्थियों /महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय /अशासकीय सेवारत् कर्मचारी के उसकी दानिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश

की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अधिक के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा।
(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर, तथा
(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान होता विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगा।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग - अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता:-

- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक /स्नातकोत्तर /विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित /भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक /स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के रथान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील /जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपरथ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ विचार न करते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा।
- 11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण:-

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

- 12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के क्रमशः 15 % तथा 18 % स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। प्रवेश की अंतिम तिथि पर 5 बजे के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. वर्ग से भरी जावेगी। इस हेतु प्राचार्य एक पॉच सदस्यीय समिति गठित करेंगे जिसमें एक जनभागीदारी के सदस्य रहेंगे। समिति अ.जा.एवं अ.ज.जा. के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. से गुणानुक्रम में भर कर सूची को सूचना पटल पर चर्चा करेंगे।
- 12.2 पिछडे वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 % स्थान आरक्षित होंगे।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 % स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों को 10 % अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।
- 12.4 सभी वर्गों के उपलब्ध स्थानों में से 30 % स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विधार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेंगी।
- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 समय-समय पर शासन द्वारा जानी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

13. अधिभार:-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समर्त प्रमाण - पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् वाद मे लाये जाने /जमा किये जाने वाले प्रमाण -पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा ,एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा ।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस./ स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स /गाइड्स /रेन्जर्स /सेवर्स के अर्थ मे पढ़ा जावे ।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ए सर्टिफिकेट

02 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. बी सर्टिफिकेट

03 प्रतिशत

या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

(ग) सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

04 प्रतिशत

(घ) राज्य स्तरीय संचालनार्थीन एन.सी.सी.प्रतियोगिता मे ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को

04 प्रतिशत

(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड मे छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्स मे भाग लेने वाले विधार्थी को

05 प्रतिशत

(छ) राज्यपाल स्काउट्स

05 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रीय स्काउट्स

10 प्रतिशत

(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट

10 प्रतिशत

(य) झूलूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट

15 प्रतिशत

भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के

लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम मे उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा मे उसी विषय मे प्रवेश लेने पर

10 प्रतिशत

13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एस.बी. प्रथम वर्ष मे प्रवेश लेने पर

05 प्रतिशत

13.4 खेलकूद /साहित्यिक /सांस्कृतिक /विचेज /रूपांकन प्रतियोगिताएँ :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला ,संभार स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग /क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता मे :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को

02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को

04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) मे उल्लेखित विभाग /संचालनालय द्वारा आयोजित अंतरसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षित्रिय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता मे अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता मे :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को

06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को

07 प्रतिशत

(ग) संभाग /क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को

05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय ,भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं मे :-

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को

15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को

12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को

10 प्रतिशत

13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा विज्ञान /सांस्कृतिक /साहित्यिक /कला क्षेत्र मे चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को

10 प्रतिशत

13.6 छत्तीसगढ़ शासन /म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे :-

10 प्रतिशत

(क) छत्तीसगढ़ /म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को

12 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को

01 प्रतिशत

13.7 जम्मू काशीमीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को

13.8 विशेष प्रोत्साहन:-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित मे एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड /एशियाड /स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता मे भाग लेने वाले विद्यार्थियों को वगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र मे उन कक्षाओं मे सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है ।

(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवका कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रापणित किया गया हो ,एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय मे प्रस्तुत

किया है , परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

- 13.9 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर का प्रमाण - पत्रों अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे । स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र में प्रमाण - पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे ।

14. संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अहकारी परीक्षा में संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5% घटाकर उनका गुणाक्रम निर्धारित किया जासेगा , अधिभार घटें हुये प्राप्तांकों पर देय होगा । महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सिंतबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी । यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों ।

15. शोध छात्र:-

शासकीय महाविद्यालय में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा । पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे । छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे । प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा । शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदरथ मान्य प्राध्यापक सुरपरवाईजर के अंतर्गत विश्वविद्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा । शोध छात्र संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे । अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा ।

महाविद्यालय में पदरथ प्राध्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र इसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं । जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रिष्ठ किया गया था । शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रसित करेंगे ।

16. तिशेष:-

- 16.1 जाली प्रमाण पत्रों गलत जानकारी जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे निरस्त करने की पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होंगे ।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा ।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा स निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा ।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरक्षित निधि के अत्तिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा ।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे । प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये । इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है ।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को में समय-समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरस्तर / संलग्न कर सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा ।

संकाय सदस्य
महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक की जानकारी

(दिनांक – 01.12.2018 की स्थिति में)

संस्था प्रमुख – डॉ० पी. एन. सिंह (प्रभारी प्राचार्य)

क्र०	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी का नाम
1	प्राचार्य	—	—
2	सहा. प्राध्यापक	अँग्रेजी	Dr. R.K.Singh
3	सहा. प्राध्यापक	हिन्दी	—
4	सहा. प्राध्यापक	समाज शास्त्र	Dr.P.N.Singh
5	सहा. प्राध्यापक	अर्थशास्त्र	—
6	सहा. प्राध्यापक	इतिहास	—
7	सहा. प्राध्यापक	राजनीति शास्त्र	—
8	सहा. प्राध्यापक	रसायन शास्त्र	—
9	सहा. प्राध्यापक	भौतिकी शास्त्र	—
10	सहा. प्राध्यापक	प्राणी शास्त्र	Mr.D.P.Kori
11	सहा. प्राध्यापक	वनस्पति शास्त्र	—
12	सहा. प्राध्यापक	गणित	—
13	सहा. प्राध्यापक	वाणिज्य	Dr.Pradeep Ku. Srivastava
14	सहा. प्राध्यापक	भूगोल	Dr.Kuntal Kishor
15	सहा०ग्रेड 1	1	Mr.R.R. Sahu
16	सहा०ग्रेड 2	1	—
17	सहा०ग्रेड 3	1	—
18	प्रायोगशाला तक०	3	—
19	भृत्य	भृत्य	—

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर जिला सूरजपुर (छोगो)

शुल्क विवरण तालिका (सत्र 2018–19)

क्र०	कक्षा शुल्क विवरण	प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राएँ हेतु			
		कला / वाणिज्य		विज्ञान	
		Boys Gen/OBC	Girls + Boy ST/SC	Boys Gen/OBC	Girls + Boy ST/SC
1	शिक्षण शुल्क	123	8	143	28
2	अवधान राशि	60	60	100	100
3	संघ प्रवेश शुल्क	2	2	2	2
4	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5	5	5	5
5	परिचय पत्र	20	20	20	20
6	सायकल स्टैण्ड शुल्क	50	50	50	50
7	महाविद्यालय विकाश शुल्क	30	30	30	30
8	कामन रूम/वाचनालय	20	20	20	20
9	आन्तरिक मुल्यांकन शुल्क	80	80	80	80
10	ग्रंथालय परिचय पत्र	20	20	20	20
11	जनभागीदारी शुल्क	800	800	800	800
12	महाविद्यालय छात्र संघ शुल्क	40	40	40	40
13	क्रीड़ा शुल्क	22	22	22	22
14	सम्मिलित निधि शुल्क	2	2	2	2
15	स्नेह सम्मेलन/वार्षिकोत्सव	100	100	100	100
16	चिकित्सा शुल्क	3	3	3	3
17	नामांकन शुल्क	120	120	120	120
18	युवा गतिविधि शुल्क	20	20	20	20
19	शारिरिक कल्याण शुल्क	170	170	170	170
20	वि.वि. पुस्तकालय शुल्क	25	25	25	25
21	रेड क्रास शुल्क	25	25	25	25
	Total	1737	1622	1797	1682

टीप :—

1. शासन के निर्देशानुसार सभी छात्राएं शिक्षण शुल्क से मुक्त होंगे।
2. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के छात्र/छात्राएं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे।
3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संतान को माता-पिता के शासकीय सेवा के प्रमाण पत्र एवं वेतन/आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क में पूरी छूट प्रदान की जावेगी।

आवेदक पत्र क्रमांक

वर्गसामान्य/पि.वं./अ.ज./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक

कक्षा

खत समूह

शासकीय महाविद्यालय, बिश्नोपुर (संगमुजा)

प्रवेश आवेदन पत्र 2018-19

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में)
अंबेजी (बडे अक्षरों में)
2. पिता का नाम
माता का नाम
3. जाति
व्यवसाय
4. वार्षिक आय
5. पिता जीवित न हो तो अभिभावक का नाम
6. आवेदक की जन्म तिथि (उंकों में)
(शब्दों में)
7. आवेदक का स्थायी पता
दूरभाष/मो.न.
8. आवेदक का स्थानीय पता
दूरभाष/मो.न.
9. कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए
विषय -
1
2
3
4
10. अहताकारी परीक्षा का नाम
प्राप्तांक /पूर्णांक
प्रतिशत

छात्र/ छात्राएँ अपनी
नवीनतम पासपोर्ट
साईज फोटो चिपकाएँ
एवं हस्ताक्षर करें

प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन/जांचोपरांत अस्थायी प्रवेश की अनुशंसा की जाती है दिनांक तक प्रवेश शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा। प्रवेश संयोजक	कार्यालयीन उपयोग हेतु :- शासकीय शुल्क रसीद क्र. राशि अशासकीय शुल्क रसीद क्र. राशि दिनांक
	शुल्क लिपिक

10. छत्तीसगढ़ में निवास की अवधि
11. शिक्षण संस्था गत वर्ष अध्ययन किया
-
12. क्या आप किसी परीक्षा में अनुचित साधन के उपयोग हेतु दण्डित हुए हैं ? यदि हॉ तो पूर्ण विवरण दे ।
-

13. अहंताकारी परीक्षा:- (विगत ढो वर्षों में उत्तीर्ण परीक्षा)

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्तांक पूर्णांक	ब्रेंडी	वोई/वि.वि.का

14. गुरुखासीदास विश्वविद्यालय का नामांकन क्रमांक (यदि हो)
15. खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस. आदि उल्लेखनीय उपलब्धियों का वर्णन
16. आवेदक सेवारत हो तो पढ़कार्यालय का नाम
17. सहोदर शुल्क मुक्ति का पात्रता हो तो -
सहोदर का नामप्रवेश की कक्षा
- प्रवेश रशीद क्रमांकदिनांकराशि
- (प्रवेश रशीद की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करें)

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक पूरा नाम

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची-

- स्थानांतरण प्रमाण- पत्र (मूल प्रति)
- चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
- अहंताकारी परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति (दो प्रति.)
- अ.ज./अ.ज.जा./पि.वर्ग/ संबंधित प्रमाण - पत्र की सत्यापित प्रति (यदि आवश्यक हो)
- छत्तीसगढ़ के तृतीय/चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (यदि आवश्यक हो तो)
- अन्य प्रमाण पत्र(ब्लड ग्रुप, खेल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. आदि)
- जन्म तिथि प्रमाण- पत्र (10 वीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति)
- गरीबीरेखा से नीचे (BPL) का कार्ड की सत्य प्रतिलिपि

इस आवेदन को ग्रंथालय में जमा करें

**कायलिय (ग्रंथालय).प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर, जिला-संगमजा (छ.ग.)**

ग्रंथालय सदस्यता आवेदन-पत्र 2018-19

सदस्य संस्था

रीडर्स कार्ड

संख्या

छात्र/छात्रा का नाम.....	कक्षा.....	पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न करे।
पिता श्री.....	
विषय/संकाय.....	सेवारत.....	
प्रवेश रसीद क्रमांक:- शासकीय.....	स्नातकोत्तर.....	
दिनांक.....		
वर्तमान पता:- मकान नं.....	वार्ड संख्या.....
ग्राम/शहर.....	धाना.....
तहसील.....	पोस्ट ऑफिस.....
जिला.....	पिन कोड.....	फोन नंबर.....
स्थायी पता:- मकान नं.....	प्रोबाइल नंबर.....
ग्राम/शहर.....	वार्ड संख्या.....
तहसील.....	धाना.....
जिला.....	पिन कोड.....	पोस्ट ऑफिस.....
मै.....	आत्मज.....	कक्षा.....
सेक्सन.....	सप्त्र.....
.....	विषय में प्रवेश प्राप्त किया

हूं। मैं ग्रंथालय का नियमित सदस्य बनना चाहता हूं।

सप्त्र के प्रध्य में महाविद्यालय छोड़ने की स्थिति में पुस्तकों की वापसी जमा करने हेतु अनुबंधित हूं। ग्रंथालय के नियमों के पालन करने हेतु प्रतिबंधित हूं। प्रत्येक 14 दिवस के भीतर पुस्तकों की वापसी करने हेतु वचनवद्ध हूं। पालन न करने पर 14 दिवस पश्चात्-प्रथम सप्ताह - 50 पैसे प्रति पुस्तक प्रति दिवस (21 दिवस) विलम्ब शुल्क का भुगतान करनी। दूसरे सप्ताह (28 दिवस तक) 1 रु. प्रति पुस्तक प्रतिदिन विलम्ब शुल्क अदा करनी।

पुस्तक/पुस्तके स्वच्छ/साफ-सुधरा रखना/स्खूनी। विद्वृप होने पर अथवा पुस्तके / फटने/खराब होने पर पुस्तक का वर्तमान बाजार मध्य/पुस्तक गुमने के 7 दिवस की भीतर डाक व्यय सहित राहश जमा करना।

नियमानुसार पुस्तके प्राप्त कर चेक कर घर ले जाउना/जाउनी। प्रदाय की तिथि से पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तकों में आयी खराबी की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मेरे नाम ग्रंथालय की पूर्व पुस्तके नहीं हैं।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं..... ने महाविद्यालय के नियमों एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा इसके पालन की प्रतिज्ञा करता / करती हूँ कि मैं किसी भी अव्यवस्था या अनुशासन हीनता एवं हिसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लूँगा / नूँगी। मैं महाविद्यालय की देय राशि का समय पर भुगतान करता / करती रहूँगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में यदि कोई परिवर्तन होगा, तो मैं तुरन्त सूचना दूँगा / दूँगी। मेरे द्वारा दी गई समरत जानकारी सत्य है, मेरे विरुद्ध विगत परीक्षा में, कोई अनुचित साधन प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। मेरे विरुद्ध कोई न्यायालयीन प्रकरण नहीं चल रहा है।

यदि मैं अव्यवस्था अनुशासन हीनता, हिसात्मक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण का दोषी पाया/पाई गई तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। मेरी अनुपस्थिति 75% से कम होने या ईकाई, त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित होने पर मुख्य परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने से वंचित होने का सम्पूर्ण दायित्व मेरा होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक..... पूरा नाम.....

पिता/पालक का घोषणा पत्र

मैं..... यह घोषणा करता हूँ कि
मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्या (नाम).....
द्वारा दी गई समरत जानकारी सत्य है। मैंने महाविद्यालय के नियमों का अध्ययन कर लिया है। महाविद्यालय में उसके अध्ययन काल में आचरण, कक्षाओं में उपस्थिति तथा दैनिकी, प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूँगा तथा इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को सहयोग देता रहूँगा।

पिता/पालक का हस्ताक्षर

दिनांक..... पूरा नाम.....

आनुबंध-पत्र
पिता/पालक द्वारा
भारा जावे

मैं.....आत्मज श्री.....

अनुबंध करता हूँ कि मेरा पुत्र/पाल्य.....कक्षा.....
ग्रांथालय से प्राप्त पुस्तकों को नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर वापिस जमा करना रहेगा। तथा पुस्तकों को सुरक्षात्मक ढंग से रख-रखाव करता रहेगा। परीक्षा के एक माह पूर्व पुस्तकालय अद्येय प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित होगा।

पिता/पालक के हस्ताक्षर

स्थान:-.....पूरा नाम.....

दिनांक.....मकान नंबर.....

वाई.....

ग्राम/शहर.....

पोस्ट ऑफिस.....

पिन कोड.....

फोन नं.....

मोबाइल नंबर.....

सद्दस्यता स्वीकृति/अरवीकृत किया जाता है।

प्राचार्य

ग्रांथपाल

ईंगिंग दण्डनीय अपराध हैं।

महाविद्यालय परिसर में अनुशासन एवं स्वच्छता बनाए रखें।

महाविद्यालयीन गतिविधियां



महाविद्यालय परिसर में अनुशासन एवं खच्छता बनाएं रखें।



शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर

जिला— सूरजपुर (उ.ग.)

2017-18

विवरणिका

317



CITIZEN - CHARTER

मूल्य-50 रु.

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर

जिला - सूरजपुर (छ.ग.)

सन्न : 2017-2018

- (1) प्रवेश लेने के लिये एक सप्ताह पश्चात् छात्र अपना प्रवेश पत्र सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्राप्त कर लें, तथा अपना परिचय-पत्र एवं लायब्रेरी कार्ड बनवा लें।
- (2) महाविद्यालय प्रशासन एवं पठन-पाठन में छात्र/छात्राओं का सहयोग अनिवार्य है, महाविद्यालय के वातावरण में अशांति फैलाना दण्डनीय है।
- (3) कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
- (4) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र समय पर ऑनलाईन जमा करें।
- (5) परीक्षा फल घोषित होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्रवेश ले लें। विलंब से प्राप्त प्रवेश आवेदन पर विचार नहीं होगा।
- (6) प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही दिया जायेगा। जो आवेदक बाह्य दबाव के आधार पर प्रवेश पाने का प्रयास करेगा, उसका आवेदन पत्र निररत कर दिया जायेगा।
- (7) अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, आन्दोलन/हड्डताल, हिंसक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण के दोषी पाये गये छात्र का प्रवेश तत्काल निररत कर दिया जायेगा।



प्राचार्य की कलम से....

उच्च शिक्षा के लिए शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर का चयन करना गर्व की बात है। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपको शासन के उद्देश्यों एवं नीतियों के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु कृत संकल्प है।

खेलकुद, एन.एस.एस. आदि शैक्षणिकेत्तर गतिविधियों में भाग लेकर आपको अपने व्यक्तित्व का विकास करने का सुअवसर प्राप्त होगा। महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्य आपकी समस्याओं के समाधान हेतु हमेशा तत्पर रहेंगे। आप कभी भी प्राचार्य से कार्यालयीन समय में मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे।

यह महाविद्यालय आपका अपना है। आप शालीन, सुसंस्कृत एवं उत्कृष्ट अनुशासन में रहते हुए इसे गुणवत्ता युक्त एवं स्वच्छ बनाने में पूर्ण सहयोग करेंगे।

प्रोफेसर (डॉ.) पी.एन.सिंह
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

परिचय-

पिलखा पहाड़ की हरियाली से सुशोभित, रेणुका नदी की पवित्र धारा से संतृप्त और काला हीरा के विशाल भण्डार को अपने गर्भ में सजोये हुए विश्रामपुर क्षेत्र में एक तरफ आदिवासी बाहुल्यता के कारण गांव जहां मांदर की थाप पर सुआ, कर्मा, शैला आदि लोक नृत्यों पर थिरकते हुए नजर आते हैं, वहाँ विश्रामपुर भटगांव, कुम्दा में बसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आये कालरी कर्मियों में देश की विभिन्न सांस्कृतियों की झलक दिखाई देती है।

छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में स्थित धनधान्य से भरपूर विश्रामपुर क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले छात्र-छात्राओं एवं कालरी कर्मियों के पाल्यों की उच्च ज्ञान पिपासा को तृप्त करने के उच्च आदर्शों एवं लक्ष्यों के साथ दिनांक 28.8.2008 को विश्रामपुर में शासकीय महाविद्यालय का विधिवत शुभारंभ हुआ।

विश्रामपुर शहर कटनी-गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78 पर जिला मुख्यालय अस्थिकापुर से 28 किमी. पश्चिम तथा जिला मुख्यालय सूरजपुर से 12 किमी. पूर्व में स्थित है। यह शहर अनुपपुर - अस्थिकापुर रेलमार्ग का एक महत्वपूर्ण स्टेशन मार्ग भी है।

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर स्थापना के साथ ही कला, विज्ञान और वाणिज्य तीन संकाय के साथ प्रारंभ हुआ। वर्तमान में यह महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय से संबंद्ध है।

सामान्य विवरण-

1. महाविद्यालय में तीन संकायों के अंतर्गत अध्ययन की सुविधा है – कला, विज्ञान एवं वाणिज्य। कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, भूगोल एवं विज्ञान संकाय के अंतर्गत वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित तथा वाणिज्य में सभी अनिवार्य विषय हेतु सुविधाएं उपलब्ध हैं।
2. महाविद्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु अनुशासन समिति है जो महाविद्यालय में अनुशासन के संबंध में पूर्ण रूपेण अधिकृत है।
3. विभिन्न प्रकार के देय शुल्क, शुल्क मुक्ति, प्रवेश के नियम एवं मार्गदर्शन सिद्धांत, आचरण सहित छात्रवृत्तियों एवं शिष्यवृत्तियों की जानकारी छात्र सहायता निधि, अनुशासन संबंधी नियम, उपस्थिति एवं प्रवेश आवेदन प्रारूप की विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक विद्यार्थी एवं उनके पालक का कर्तव्य है कि इनसे भली-भौति अवगत हो।

विषय चयन हेतु प्रावधान-

सत्र 2016-17 में बी.ए. प्रथम वर्ष एवं बी.एस.सी. प्रथम वर्ष कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु विषयों के समूह बनाये हैं इसके अनुसार विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावेगा ये समूह निम्न हैं –

1. स्नातक –

1. अनिवार्य विषय – (1) आधार पाठ्यक्रम (2) पर्यावरण अध्ययन (सभी संकाय के प्रथम वर्ष हेतु) – स्नातक स्तर के समस्त संकायों हेतु आवेदक निम्नांकित विषयों में से किन्हीं तीन विषय का चयन कर सकता है।
2. बी.ए.प्रथम वर्ष – (1) समाज शास्त्र (2) राजनीतिशास्त्र (3) हिन्दी साहित्य (4) अंग्रेजी साहित्य (5) भूगोल (I,II)
3. बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित समूह) – भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित
4. बी.एस.-सी. प्रथम वर्ष (बायो समूह) – रसायन शास्त्र, प्राणिशास्त्र, वनस्पति शास्त्र
5. बी.कॉम. प्रथम – सभी अनिवार्य विषय
6. कला/विज्ञान द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

सीटों की संख्या-

बी.ए. प्रथम – 100, बी.एस.सी. प्रथम – 100, बी.कॉम प्रथम – 100

पहले आओ पहले पाओ, एवं मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

आर्हता – प्रथम वर्ष हेतु हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण।

नोट – स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को भी पुनः प्रवेश लेना होगा।

उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की
स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त
सन् 2017-2018

1. प्रयुक्ति:-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धान्त छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम समेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि:-

- 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

- 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक क ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ब में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ख ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को व.प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- 2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।
- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्षण (अधिकतम 4 सेक्षण) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय / रवशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय / विषस समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अहकारी परीक्षा में प्राप्तांकों

- एवं जहां अधिकार देय है, वहां अधिकार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण - पत्र पर प्रवेश दिया गया है रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति का निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जूलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लिकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की रिश्ति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिय थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की रिश्ति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ- साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेंगिं / अनुशासनहीनता / तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र / छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी / राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र / पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एच.एस.सी. प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम / द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश:-

- (क) बी.कॉम./बी.एच.एस.सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. काम./एम.एच.एस-सी./एम.ए. पूर्व एवं निवेदित विषय लेकर, बी.एस.सी.उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी/एम.ए.पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम/द्वितीय एवं एल.एल.एम.पूर्वाद्व परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा :-

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40% तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, वहां 45% होगी। एल.एल.एम.पूर्वाद्व में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा:-

- 6.1 सेन्ट्रल बार्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कॉसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बार्ड की 10 + 2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य हैं। उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की परीक्षा के मकक्ष मान्य हैं। उसमानिया एवं काकतीय विश्वविद्यालय, जैसे बी.ए./बी.काम. डायरेक्ट

वन सिंटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं हैं।

- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं हैं की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम /बी.एस.-सी /बी.एच.एस-सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागु होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने की पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

- 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट)प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

- 8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48%पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

- 8.4 उपरोक्त केडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व रूप में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।

- 9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैमिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जॉच करवाये एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

- 9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। परन्तु आयु सीमा के बन्धन में छात्राओं को 3 वर्ष की छूट रहेगी।

- (ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागु नहीं होगा।

- (ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी आयु 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी।

- (घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

- (ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी के उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-**
- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा।
 (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर, तथा
 (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।
- 11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता:-**
- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक /स्नातकोत्तर /विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित /भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक /स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील /जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदेत विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा।
- 11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।
- 12. आरक्षण:-**
- छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-**
- 12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के क्रमशः 15 % तथा 18 % स्थान आरक्षित होगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। प्रवेश की अंतिम तिथि पर 5 बजे के बाद अनुसूचित जनजाति के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व.वर्ग से भरी जावेगी। इस हेतु प्राचार्य एक पाँच सदस्यीय समिति गठित करेंगे जिसमें एक जनभागीदारी के सदस्य रहेंगे। समिति अ.जा.एवं अ.ज.जा. के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. से गुणानुक्रम में भर कर सूची को सूचना पटल पर चर्चा करेंगे।
- 12.2 पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 % स्थान आरक्षित होगे।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 % स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों को 10 % अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।
- 12.4 सभी वर्गों के उपलब्ध स्थानों में से 30 % स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विधार्थी किसी संवर्ग जैसे -स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जायेगी।
- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 समय-समय पर शासन द्वारा जानी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 13. अधिभार:-**
- अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अहंकारी परीक्षा

के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा ,अधिभार हेतु समर्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद मे लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रमाण - पत्रों पर अधिभार हेतु विधार नहीं किया जायेगा ,एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा ।

- 13.1 एन.सी.सी./एन.एस./ रकाउटर्स
रकाउटर्स शब्द को रकाउटर्स / गाइड्स / रेन्जर्स / रेवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये ।
(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ए स्टिफिकेट
(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. बी स्टिफिकेट
या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण रकाउटर्स
(ग) सी स्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण रकाउटर्स
(घ) राज्य स्तरीय संचालनार्थीन एन.सी.सी.प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को
(छ) नई वित्तनी के गणतंत्र दिवस परेड मे छत्तीसगढ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्स मे भाग लेने वाले विद्यार्थी को
(ज) राज्यपाल रकाउटर्स
(झ) छत्तीसगढ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट
(य) द्युर्क ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट
भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के
लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले केडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को
02 प्रतिशत
03 प्रतिशत
04 प्रतिशत
04 प्रतिशत
05 प्रतिशत
05 प्रतिशत
10 प्रतिशत
10 प्रतिशत
15 प्रतिशत
15 प्रतिशत
10 प्रतिशत
05 प्रतिशत
- 13.2 आनंद विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर
13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष मे प्रवेश लेने पर
13.4 खेलकूट / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विविज / रूपांकन प्रतियोगिताएँ :-
(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला , संभार स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय
संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-
(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को
(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतरसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय
संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता
में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-
(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को
(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को
(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-
(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को
(ख) प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को
(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को
02 प्रतिशत
04 प्रतिशत
05 प्रतिशत
15 प्रतिशत
12 प्रतिशत
10 प्रतिशत
06 प्रतिशत
07 प्रतिशत
05 प्रतिशत
15 प्रतिशत
12 प्रतिशत
10 प्रतिशत
10 प्रतिशत
- 13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला
क्षेत्र मे चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को
13.6 छत्तीसगढ शासन/ब.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-
(क) छत्तीसगढ /ब.प्र.का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को
(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ की टीम के सदस्यों को
10 प्रतिशत
12 प्रतिशत
01 प्रतिशत
- 13.7 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आधिकारियों को
13.8 विशेष प्रोत्साहन:-
छत्तीसगढ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./ खेलकूट को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेट्स
तथा ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने
वाले विद्यार्थियों को बाहर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है ।
(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवका कल्याण, छत्तीसगढ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो , एवं

- (2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 13.9. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमीक सत्र तक का प्रमाण-पत्रों अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र में प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।
14. संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :-
- स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा में संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 % घटाकर उनका गुणाक्रम निर्धारित किया जा सकेगा, अधिभार घटें हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सिंतंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणाक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।
15. शोध छात्र:-
- शासकीय महाविद्यालय में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुरपवाइजर के अंतर्गत विश्वविद्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। शोध छात्र संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।
- महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र इसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं। जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रिम किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रसित करेंगे।
16. विशेष:-
- 16.1 जाली प्रमाण पत्रों की गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे निरस्त करने की पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होंगे।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों से लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरंक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरस्त / संलग्न कर सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

महाविद्यालय स्टाफ

प्राचार्य प्रो. (डॉ.) पी.एन. सिंह

शैक्षणिक स्टाफ

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. प्रो. श्री रविन्द्र कुमार थवाईत | - वाणिज्य संकाय |
| 2. प्रो. प्रीया देवांगन | - वनस्पति शास्त्र |

प्रयोगशाला तकनीशियन

- | | |
|--------------------------|--|
| 3. श्री चोल साय चेरवा | - रसायन, भुगोल, ग्रंथालय |
| 4. श्रीमती सुनीता गुप्ता | - प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिकी |

कार्यालय स्टाफ

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. श्री अरुण कुमार त्रिपाठी | - सहायक ग्रेड-2 |
| 2. श्री विनय कुमार टोप्पो | - सहायक ग्रेड-3 |

जनभागीदारी

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. श्री चंदन सिंह | - डाटाएन्ट्री आपरेटर |
| 2. श्री मान सिंह | - भृत्य |
| 3. श्री सूदामा सिंह | - चौकीदार |
| 4. रतीराम | - स्वीपर |

10. छत्तीसगढ़ में निवास की अवधि
11. शिक्षण संस्था ग्रात वर्ष अध्ययन किया

12. अहंताकारी परीक्षा:- (विगत दो वर्षों में उत्तीर्ण परीक्षा)

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्तांक पूर्णांक	श्रेणी	बोर्ड/वि.वि.का

13. सरगुजा विश्वविद्यालय का नामांकन क्रमांक (यदि हो).....
14. खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस. आदि उल्लेखनीय उपलब्धियों का वर्णन

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक पूरा नाम

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची-

- स्थानांतरण प्रमाण- पत्र (मूल प्रति).....
- चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति).....
- अहंताकारी परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति (दो प्रति.).....
- अ.ज./अ.ज.जा./पि.वर्ग/ संबंधित प्रमाण - पत्र की सत्यापित प्रति (यदि आवश्यक हो).....
- छत्तीसगढ़ के तृतीय/चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (यदि आवश्यक हो तो)
- अन्य प्रमाण पत्र(ब्लड ग्रुप, खेल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. आदि).....
- जन्म तिथि प्रमाण- पत्र (10 वीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति)
- गरीबीरेखा से नीचे (BPL) का कार्डकी सत्य प्रतिलिपि

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं.....ने महाविद्यालय के नियमों एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा इसके पालन की प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं किसी भी अव्यवस्था या अनुशासन हीनता एवं हिसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लूँगा/लूँगी। मैं महाविद्यालय की देय राशि का समय पर भुगतान करता/करती रहूँगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में यदि कोई परिवर्तन होगा, तो मैं तुरन्त सूचना दूँगा/दूँगी। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है, मेरे विस्तृत विगत परीक्षा में, कोई अनुचित साधन प्रकरण ढर्ज नहीं हुआ है। मेरे विस्तृत कोई न्यायालयीन प्रकरण नहीं घल रहा है।

यदि मैं अव्यवस्था अनुशासन हीनता, हिसात्मक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण का दोषी पाया/पाई गई तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। मेरी अनुपस्थिति 75% से कम होने या ईकाई, श्रीमासिक एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित होने पर मुख्य परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने से वंचित होने का सम्पूर्ण दायित्व मेरा होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक.....

पूरा नाम.....

पिता/पालक का घोषणा पत्र

मैं.....यह घोषणा करता हूँ कि
मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्या (नाम).....
द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है। मैंने महाविद्यालय के नियमों का अध्ययन कर लिया है। महाविद्यालय में उसके अध्ययन काल में आचरण, कक्षाओं में उपस्थिति तथा डैन्डिनी, प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूँगा तथा इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को सहयोग देता रहूँगा।

पिता/पालक का हस्ताक्षर

दिनांक.....

पूरा नाम.....

इस आवेदन को ग्रंथालय में जमा करें

**कार्यालय (ग्रंथालय), प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर, जिला- सूरजपुर (छ.ग.)
ग्रंथालय सदस्यता आवेदन-पत्र 2017-2018**

सदस्य संस्था

रीडर्स कार्ड

संख्या

छात्र/छात्रा का नाम.....कक्षा.....

पिता श्री.....

विषय/संकाय.....सेवारत.....

प्रवेश रसीद क्रमांक:- शासकीय.....स्नातकोत्तर.....

दिनांक.....

वर्तमान पता:- मकान नं.....वार्ड संख्या.....

ग्राम/शहर.....थाना.....

तहसील.....पोस्ट ऑफिस.....

जिला.....पिन कोड.....फोन नंबर.....

मोबाइल नंबर.....

स्थायी पता:- मकान नं.....वार्ड संख्या.....

ग्राम/शहर.....थाना.....

तहसील.....पोस्ट ऑफिस.....

जिला.....पिन कोड.....फोन नंबर.....

मोबाइल नंबर.....

मै.....आत्मज.....कक्षा.....

सेवसन.....सत्र.....मे.....विषय में प्रवेश प्राप्त किया है। मैं ग्रंथालय का नियमित सदस्य बनना चाहता हूँ।

सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने की स्थिति में पुस्तकों की वापसी जमा करने हेतु अनुबंधिश हूँ। ग्रंथालय के नियमों के पालन करने हेतु प्रतिबंधित हूँ। प्रत्येक 14 दिवस के भीतर पुस्तकों की वापसी करने हेतु वचनवद्ध हूँ। पालन न करने पर 14 दिवस पश्चात-प्रथम सप्ताह-50 पैसे प्रति पुस्तक प्रति दिवस (21 दिवस) विलम्ब शुल्क का भुगतान करना। दूसरे सप्ताह (28 दिवस तक) 1 रु. प्रति पुस्तक प्रतिदिन विलम्ब शुल्क अदा करना।

पुस्तक/पुस्तके स्वच्छ/साफ-सुधरा रखना/रखनी। विद्युप होने पर अथवा पुस्तके / फटने/खराब होने पर पुस्तक का वर्तमान बाजार मध्य/पुस्तक गुमने के 7 दिवस की भीतर डाक व्यय सहित राहश जमा करना।

नियमानुसार पुस्तकें प्राप्त कर चेक कर घर ले जाउंगा/जाउंगी। प्रदाय की तिथि से पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तकों में आयी खराबी की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मेरे नाम ग्रंथालय की पूर्व पुस्तकें नहीं हैं।

पासपोर्ट

साईज

फोटो

संलग्न करें।

अनुबंध-पत्र
**पिता/पालक द्वारा
भरा जावे**

मैं..... आत्मज श्री.....
अनुबंध करता हूँ कि मेरा पुत्र/पाल्य..... कक्षा.....
ग्रंथालय से प्राप्त पुस्तकों को नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर वापिस जमा करना रहेगा। तथा पुस्तकों को सुरक्षात्मक ढंग से रख-रखाव करता रहेगा। परीक्षा के एक माह पूर्व पुस्तकालय अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित होगा।

पिता/पालक के हस्ताक्षर

स्थान:-..... पूरा नाम.....
दिनांक..... मकान नम्बर.....
वार्ड..... ग्राम/शहर.....
पोस्ट ऑफिस.....
पिन कोड.....
फोन नं.....
मोबाइल नंबर.....

सदस्यता स्वीकृति/अस्वीकृत किया जाता है।

ग्रंथपाल

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)
शुल्क तालिका सत्र 2017-2018

शासकीय एवं अशासकीय शुल्क

शुल्क विवरण	स्नातक कला	स्नातक विज्ञान
शिक्षण शुल्क	123/-	143/-
अवधान राशि	60/-	100/-
संघ प्रवेश शुल्क	2/-	2/-
निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5/-	5/-
परिचय पत्र	10/-	10/-
महाविद्यालय विकास शुल्क	25/-	25/-
सायकल स्टैण्ड शुल्क	10/-	10/-
कामन रूम/वाचनालय	20/-	20/-
विभागीय शुल्क	-	-
आन्तरिक मूल्यांकन शुल्क	40/-	40/-
बंधालय परिचय पत्र शुल्क	0/-	0/-
जन भागीदारी शुल्क	500/-	500/-
महाविद्यालय छात्र संघ शुल्क	20/-	20/-
क्रीड़ा शुल्क	22/-	22/-
सम्प्रिलिपि निधि शुल्क	2/-	2/-
स्नेह सम्प्रेलन /वार्षिकोत्सव	100/-	75/-
चिकित्सा शुल्क	3/-	3/-
नामांकन शुल्क	100/-	100/-
युवा गतिविधि शुल्क	17/-	17/-
शारीरिक कल्याण शुल्क	150/-	150/-
वि.वि.पुस्तकालय	20/-	20/-
रेड क्रास शुल्क	25/-	25/-

महाविद्यालयीन गतिविधियां



महाविद्यालय परिसर में अनुशासन एवं स्वच्छता बनाएं रखें।




महाविद्यालय परिसर में पान, तम्बाखू, गुटखा, सिगरेट एवं अन्य मध्यपान आदि का उपयोग वर्जित है।

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर

जिला- सूरजपुर (छ.ग.)

2016-17

विवरणिका



CITIZEN - CHARTER

मूल्य-50 रु.

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर

जिला - सूरजपुर (छ.ग.)

सन्न : 2016-2017

- (1) प्रवेश लेने के लिये एक सप्ताह पश्चात् छात्र अपना प्रवेश पत्र सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्राप्त कर लें, तथा अपना परिचय-पत्र एवं लायब्रेरी कार्ड बनवा लें।
- (2) महाविद्यालय प्रशासन एवं पठन-पाठन में छात्र/छात्राओं का सहयोग अनिवार्य है, महाविद्यालय के वातावरण में अशांति फैलाना दण्डनीय है।
- (3) कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
- (4) अनुसूचित जाति/ज्ञनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र समय पर ऑनलाइन जमा करें।
- (5) परीक्षा फल घोषित होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्रवेश ले लें। विलंब से प्राप्त प्रवेश आवेदन पर विचार नहीं होगा।
- (6) प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही दिया जायेगा। जो आवेदक बाह्य दबाव के आधार पर प्रवेश पाने का प्रयास करेगा, उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- (7) अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, आन्दोलन/हड्डताल, हिंसक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण के दोषी पाये गये छात्र का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

परिचय-

पिलखा पहाड़ की हरियाली से सुशोभित, रेणुका नदी की पवित्र धारा से संतृप्त और काला हीरा के विशाल भण्डार को अपने गर्भ में सजोये हुए विश्रामपुर क्षेत्र में एक तरफ आदिवासी बाहुल्यता के कारण गांव जहां मांदर की थाप पर सुआ, कर्मा, शैला आदि लोक नृत्यों पर धिरकते हुए नजर आते हैं, वहाँ विश्रामपुर भटगांव, कुम्दा में बसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आये कालरी कर्मियों में देश की विभिन्न सांस्कृतियों की झलक दिखाई देती है।

छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में स्थित धनधान्य से भरपूर विश्रामपुर क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले छात्र-छात्राओं एवं कालरी कर्मियों के पाल्यों की उच्च ज्ञान पिपासा को तृप्त करने के उच्च आदर्शों एवं लक्ष्यों के साथ दिनांक 28.8.2008 को विश्रामपुर में शासकीय महाविद्यालय का विधिवत शुभारंभ हुआ।

विश्रामपुर शहर कटनी-गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78 पर जिला मुख्यालय अम्बिकापुर से 28 किमी. पश्चिम तथा जिला मुख्यालय सूरजपुर से 12 किमी. पूर्व में स्थित है। यह शहर अनुपपुर - अम्बिकापुर रेलमार्ग का एक महत्वपूर्ण स्टेशन मार्ग भी है।

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर स्थापना के साथ ही कला, विज्ञान और वाणिज्य तीन संकाय के साथ प्रारंभ हुआ। वर्तमान में यह महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

सामान्य विवरण-

1. महाविद्यालय में तीन संकायों के अंतर्गत अध्ययन की सुविधा है - कला, विज्ञान एवं वाणिज्य। कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र एवं विज्ञान संकाय के अंतर्गत वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित तथा वाणिज्य में सभी अनिवार्य विषय हेतु सुविधाएं उपलब्ध हैं।
2. महाविद्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु अनुशासन समिति है जो महाविद्यालय में अनुशासन के संबंध में पूर्ण रूपेण अधिकृत है।
3. विभिन्न प्रकार के देय शुल्क, शुल्क मुक्ति, प्रवेश के नियम एवं मार्गदर्शन सिद्धांत, आचरण सहित छात्रवृत्तियों एवं शिष्यवृत्तियों की जानकारी छात्र सहायता निधि, अनुशासन संबंधी नियम, उपस्थिति एवं प्रवेश आवेदन प्रारूप की विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक विद्यार्थी एवं उनके पालक का कर्तव्य है कि इनसे भली-भाँति अवगत हो।

विषय चयन हेतु प्रावधान-

सत्र 2016-17 में बी.ए. प्रथम वर्ष एवं बी.एस.सी. प्रथम वर्ष कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु विषयों के समूह बनाये हैं इसके अनुसार विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावेगा ये समूह निम्न हैं -

1. स्नातक -

1. अनिवार्य विषय - (1) आधार पाद्यक्रम (2) पर्यावरण अध्ययन (सभी संकाय के प्रथम वर्ष हेतु)- स्नातक, रत्नर के समस्त संकायों हेतु आवेदक निम्नांकित विषयों में से किन्हीं तीन विषय का चयन कर सकता है।
2. बी.ए. प्रथम वर्ष - (1) समाज शास्त्र (2) राजनीतिशास्त्र (3) हिन्दी साहित्य (4) अंग्रेजी साहित्य
3. बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित समूह) - भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित
4. बी.एस.-सी. प्रथम वर्ष (बायो समूह) - रसायन शास्त्र, प्राणिशास्त्र, वनस्पति शास्त्र
5. बी.कॉम. प्रथम - सभी अनिवार्य विषय
6. कला/विज्ञान द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

सीटों की संख्या -

बी.ए. प्रथम - 100, बी.एस.सी. प्रथम - 100, बी.कॉम प्रथम - 100

पहले आओ पहले पाओ, एवं मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

आर्हता - प्रथम वर्ष हेतु हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण।

नोट - स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को भी पुनः प्रवेश लेना होगा।

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों की

स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

1. प्रयुक्ति:-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सभेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि:-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जायें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने से सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक के ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ब में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ख ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को व.प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

2.4 पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि- पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर कंडिका 2.2. में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी। अन्य कक्षाओं में 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से अस्थायी प्रवेश देने हेतु प्राचार्य सक्षम होंगे तथा पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के नियमित प्रवेश के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय में पूरक परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन जो भी पहले हो मान्य होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्षण (अधिकतम 4 सेक्षण) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिकार देय है, वहां अधिकार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मुख प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण - पत्र पर प्रवेश दिया गया है रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति का निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जूलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिय थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से दबन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ - साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेंगिंग /अनुशासनहीनता /तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र /छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी /राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र /पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आप्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षार उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एच.एस.सी. प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम /द्वितीय परीक्षां उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश:-

- (क) बी.कॉम./बी.एच.एस.सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. काम./एम.एच.एस-सी./एम.ए. पूर्व एवं निवेदित विषय लेकर, बी.एस.सी.उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी/एम.ए.पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम /द्वितीय एवं एल.एल.एम.पूर्वाद्व परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा :-

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40% तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, वहां 45% होगी। एल.एल.एम.पूर्वाद्व में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा:-

- 6.1 सेन्ट्रल बार्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कौसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों

वन सिंटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं हैं।

- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं हैं की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों वर्ग प्रवेश :-

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम /बी.एस.-सी /बी.एच.एस-सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागु होने से उत्तीर्णसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम /द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने की पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

- 7.2 उत्तीर्णसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम ,द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
8.1 स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट)प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम /द्वितीय /तृतीय में पूरक /एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

- 8.3 विधि स्नातक प्रथम /द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 % पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

- 8.4 उपरोक्त केड़िका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र /छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

- 9.2 जिनके विलद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में पूर्व रूप में छात्रों /अधिकारियों /कार्यालयों के साथ दुर्व्यवहार /मारपीट करने के गंभीर आरोप हो /चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसा अधिकारी देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।

- 9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले /रेंटिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न करने के लिये अधिकृत प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जॉच करवाये एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को उत्तीर्णसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

- 9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। परन्तु आयु सीमा के बन्धन में छात्राओं के 3 वर्ष की छूट रहेगी।

- (ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार /भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागु नहीं होगा।

- (ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी आयु 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी।

- (घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

- (ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय /अशासकीय सेवारत् कर्मचारी के उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा ।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को ,विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा ।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है ,तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर ,तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डोंके अनुसार होगी ।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी ।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता:-

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक /स्नातकोत्तर /विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार ,अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित /भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा ।

11.2 स्नातक /स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधा ! ,अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित,भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा ।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण ,परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे ,अन्य क्रम यथावत रहेगा ।

11.4 आवेदक द्वारा अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील /जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान /तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जायेगा ।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा ,किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा ।

12. आरक्षण:-

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के क्रमशः 15 % तथा 18 % स्थान आरक्षित होगे । इन दो वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे । प्रवेश की अंतिम तिथि पर 5 बजे के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त रोटों को सामान्य एवं अ.पि.व.वर्ग से भरी जायेगी । इस हेतु प्राचार्य एक पॉच सदस्यीय समिति गठित करेंगे जिसमें एक जनभागीदारी के सदस्य रहेंगे । समिति अ.जा.एवं अ.ज.जा.के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. से गुणानुक्रम में भर कर सूची को सूचना पटल पर चर्चा करेंगे ।

12.2 पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 % स्थान आरक्षित होगे ।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 % स्थान आरक्षित रहेंगे । विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों का 10 % अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा ।

12.4 सभी वर्गों के उपलब्ध स्थानों में से 30 % स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे ।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी ,परन्तु यदि ऐसा विधार्थी किसी संवर्ग जैसे -स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी ,शेष संवर्ग की सीटे भरी जायेगी ।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा , 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आगे पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी ।

12.7 समय-समय पर शासन द्वारा जानी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये ।

13. अधिभार:-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा ,पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा । अहंकारी परीक्षा

- 2.7 प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त छात्र/छात्राएँ उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के उपलब्ध रहेंगे।
- 2.8 समय-समय पर शासन द्वारा जानी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

11. अधिभारः-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पाक्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1	एन.सी.सी./एन.एस.एस./ स्काउट्स स्काउट्स शब्द को स्काउट्स /गाइड्स /रेञ्जर्स /सेक्वर्स के अर्थ में पढ़ा जावे। (क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ऐ सर्टिफिकेट (ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. बी सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स (ग) सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स (घ) राज्य स्तरीय संचालनायीन एन.सी.सी.प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को (च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिक्ष परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस. कन्टेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को (उ) राज्यपाल स्काउट्स (ज) राष्ट्रीय स्काउट्स (झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केंडेट (य) द्व्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केंडेट (र) भारत श्रवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस. के लिए चयनित करने वाले विद्यार्थियों को	02 प्रतिशत 03 प्रतिशत 04 प्रतिशत 04 प्रतिशत 05 प्रतिशत 05 प्रतिशत 10 प्रतिशत 10 प्रतिशत 15 प्रतिशत 15 प्रतिशत 10 प्रतिशत 05 प्रतिशत
13.2	आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	10 प्रतिशत
13.3	स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर	05 प्रतिशत
13.4	खेलकूद /साहित्यिक /सांस्कृतिक /विचिज/ रूपांकन प्रतियोगिताएँ:- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभार स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग /क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में:- प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को (2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतरसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में:- प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम के सदस्यों को (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम के सदस्यों को (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में:- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम के सदस्यों को (ख) प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	06 प्रतिशत 07 प्रतिशत 05 प्रतिशत 15 प्रतिशत 12 प्रतिशत 10 प्रतिशत
13.5	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा विज्ञान /सांस्कृतिक /साहित्यिक /कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत
13.6	छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में:- (क) छत्तीसगढ़ /म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को	10 प्रतिशत 12 प्रतिशत
13.7	जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को	01 प्रतिशत

13.8 विशेष प्रोत्साहन:-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेट्स तथा ओलम्पियाड /एशियाड /स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पावता है।

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवका कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रामाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.9 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमीक सत्र तक का प्रमाण - पत्रों अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र में प्रमाण - पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय /विषय /ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा में संकाय /विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश द्वाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 % घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जासेगा, अधिभार घटें हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक /स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय /ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सिंतबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्रः -

शासकीय महाविद्यालय में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ प्राचार्यापक सुरपवाईजर के अंतर्गत विश्वविद्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। शोध छात्र संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा। महाविद्यालय में पदस्थ प्राचार्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र इसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं। जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अंग्रेजित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अंग्रेजित करेंगे।

16. विशेष:-

- 16.1 जाली प्रमाण पत्रों गलत जानकारी जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे निरस्त करने की पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होंगे।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के जरूर सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा स निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरंक्षित निधि के अन्तरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अंग्रेजित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन/ संशोधन/ निरसर/ संलग्न कर सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

नोट - उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यदि परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा।

आवेदक पत्र क्रमांक

वर्गसामान्य/पि.वं./अ.ज./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक

कक्षा (जिसमें प्रवेश चाहिए).....

रवत समूह

शासकीय महाविद्यालय, विश्वामित्र (सूरजपुर)

प्रवेश आवेदन पत्र 2016-2017

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में).....

छात्र/ छात्राएँ अपनी

अंग्रेजी (बडे अक्षरों में).....

नवीनतम पासपोर्ट

2. पिता का नाम

साईज रंगीन फोटो

माता का नाम

चिपकाएँ एवं हस्ताक्षर

जाति व्यवसाय.....

क्रे

वार्षिक आय

3. पिता जीवित न हो तो अभिभावक का नाम

4. आवेदक की जन्म तिथि (अंकों में).....

(शब्दों में).....

5. आवेदक का स्थायी पता दूरभाष/मो.न.

6. आवेदक का स्थानीय पता दूरभाष/मो.न.

7. कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए

विषय- 1..... 2.....

3..... 4.....

8. अहताकास्ति परीक्षा का नाम

प्राप्तांक/पूर्णांक प्रतिशत.....

प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन/जांचोपरांत अस्थायी प्रवेश की

कार्यालयीन उपयोग हेतु :-

अनुशंसा की जाती है दिनांक तक

शासकीय शुल्क रसीद क्र..... राशि

प्रवेश शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश नियमत माना जायेगा।

अशासकीय शुल्क रसीद क्र. राशि

प्रवेश संयोजक

दिनांक

शुल्क लिपिक

10. छत्तीसगढ़ में निवास की अवधि
11. शिक्षण संस्था गत वर्ष अध्ययन किया

12. अर्हताकारी परीक्षा:- (विंगत दो वर्षों में उत्तीर्ण परीक्षा)

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्तांक पूर्णांक	श्रेणी	बोर्ड/वि.वि.वि.

13. सरगुजा विश्वविद्यालय का नामांकन क्रमांक (यदि हो).....
14. खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस. आदि उल्लेखनीय उपलब्धियों का वर्णन

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा नाम

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची-

- स्थानांतरण प्रमाण- पत्र (मूल प्रति).....
- चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति).....
- अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति (दो प्रति.).....
- अ.ज./अ.ज.जा./पि.वर्ग/ संबंधित प्रमाण - पत्र की सत्यापित प्रति (यदि आवश्यक हो).....
- छत्तीसगढ़ के तृतीय चर्तृ वर्ग के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (यदि आवश्यक हो तो)
- अन्य प्रमाण पत्र(ब्लड ग्रूप, डिए, एन.सी.सी., एन.एस.एस. आदि).....
- जन्म तिथि प्रमाण- पत्र (10 वीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति)
- गरीबीरेखा से नीचे (BPL) का कार्डकी सत्य प्रतिलिपि

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

अधिकारी के नाम संस्कृत में लिखित है। ०१

ने महाविद्यालय के नियमों एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर
उठका हाथ और उठ नाड़ा हाथ संकेत किया है। ०२

मैं.....

लिया है तथा इसके पालन की प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं किसी भी अव्यवस्था या अनुशासन हीनता एवं हिसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आग नहीं लूँगा/लूँगी। मैं महाविद्यालय की देय राशि का सम्पर्य पर भुगतान करता/करती रहूँगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में यदि कोई परिवर्तन होगा, तो मैं तुरन्त सूचना देंगा/देंगी। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है, मेरे विरुद्ध विगत परीक्षा में, कोई अनुचित साधन प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। मेरे विरुद्ध कोई न्यायालयीन प्रकरण नहीं चल रहा है।

यदि मैं अव्यवस्था अनुशासन हीनता, हिसात्मक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण का दोषी पाया/पाई गई तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। मेरी अनुपस्थिति 75% से कम होने या ईकाई, त्रैमारीक एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित होने पर मुख्य परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने से वंचित होने का सम्पूर्ण दायित्व मेरा होगा।

(डि. ईड) कांगड़ बड़ापाल इलाहाबादी छात्रावास ०३

क्रोधठाठ किलोमेटर उत्तरवर्षित लीला, लखनऊ, उत्तर प्रदेश २०१५। डि.एच.बी.जू. छात्रावास ०४

आवेदक का हस्ताक्षर

माझे नाम के दावेदार

दिनांक.....

मार्च २०१५

पूरा नाम.....

- विजुल के नाम प्रभालय लकड़ाइ

(वीष्ट लूप) लृप - अंग्रेजी लूप साइर

(नीर लूप) लृप जाह्नवी लैटिट

पिता/पालिके का घोषणा पत्र

(डि. कांगड़ावास शीर्ष) मेरे नाम के लिए - अपराध क्षमिता वैज्ञानिक विद्यालय, कांगड़ावास, उत्तर प्रदेश २०१५। यह घोषणा करता हूँ कि मैं.....

मेरे नाम के लिए - अपराध क्षमिता वैज्ञानिक विद्यालय, कांगड़ावास, उत्तर प्रदेश २०१५। मेरे नाम के लिए नियमित

मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्या (नाम).....

द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है। मैंने महाविद्यालय के नियमों का अध्ययन कर लिया है। महाविद्यालय में उसके अध्यात्म काल में आचरण, कक्षाओं में उपस्थिति तथा दैनिकी, प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूँगा तथा इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूँ। मेरे नाम के लिए नियमित

रहते हुए महाविद्यालय को सहयोग देता रहूँगा।

पिता/पालक का हस्ताक्षर

दिनांक.....

पूरा नाम.....

સરગુજા વિશ્વ વિદ્યાલય, અમ્બિકાપુર (૩૦ગ૦)
(૩૦ગ૦) વિશ્વ વિદ્યાલય (સંશોધન) અધિનિયમ ૧૮/૨૦૦૮ દ્વારા સ્થાપિત
નામાંકન હેતુ આવેદન - પત્ર

પ્રતિ,

કુલ સચિવ,
સરગુજા વિશ્વ વિદ્યાલય, અમ્બિકાપુર (૩૦ગ૦)

મહોદદ્ય,

નિવેદન હૈ કી મૈં ઉચ્ચ શિક્ષા કે લિએ વિશ્વ વિદ્યાલય મેં અપના નામ અંકિત કરવાના ચાહતા/ચાહતી હું। મેરા સરગુજા વિશ્વ વિદ્યાલય, અમ્બિકાપુર (૩૦ગ૦) મેં નામાંકિત નહીં હુआ હૈ, ઇસ હેતુ નિર્ધારિત શુલ્ક ભેજ રહા હું।

ઇસ વિશ્વ વિદ્યાલય મેં મહાવિશ્વવિદ્યાલયીન/અમા. /પૂર્વ છાત્ર/છાત્રા કે રૂપ મેં નામાંકન ક્ર..... હૈ। નામાંકન શુલ્ક - ૧૦૦ રૂ.૩૦ સિતમ્બર કે બાદ તથા સત્ર કે અન્દર પ્રસ્તુત આવેદન કે સાથ રૂ. ૧૫૦ અપ્રવાસન શુલ્ક અપ્રવાસન શુલ્ક - ૩૦૦ રૂ. ઇસકે બાદ આવેદન પ્રસ્તુત કરને પર બિલમ્બ શુલ્ક રૂ. ૧૫૦ અતિરિક્ત દેય હોગા।

વિવરણ નિર્માનનુસાર હૈ:-

1. પૂરા નામ (હિન્ડી મેં).....
2. અંગ્રેજી કે બાંઝે અક્ષરોં મેં.....
3. પિતા કા નામ..... માતા કા નામ.....
4. જન્મ તિથિ (હાઠેસેસર્ટિફિકેટ)..... ૫.....
5. છ.ગ.મેં નિવાસ કબ સે કર રહે હું.....
6. પ્રસ્તાવિત પરીક્ષા કા નામ.....
7. પિછળી પરીક્ષા કા વિવરણ જો ઉત્તીર્ણ હૈ, કક્ષા..... સત્ર.....
8. અનુક્રમાંક..... વિશ્વવિદ્યાલય/વિદ્યાલય.....

હાયર સેકણ્ડરી સર્ટિફિકેટ કી સત્યાપિત અંક સૂચી અનિવાર્ય રૂપ સે સંલગ્ન હો એવં પ્રસ્તુતાવિત પરીક્ષા મેં સમ્મિલિત હોને કી પાત્રતા દેને વાલી અંકસૂચી કી સત્યાપિત પ્રતિ સંલગ્ન હો। છ.ગ.કે બાહ્ર કે બોર્ડ યા વિ.વિ.સે આને વાલે છાત્ર કો વિશ્વ વિદ્યાલય સે જારી પ્રમાણ-પત્ર કે સાથ મૂલ પ્રવર્જન પ્રમાણ-પત્ર સમ્મિલિત કરના હોગા।

(સમસ્ત અંક સૂચી અભિપ્રમામિત હો) તથા અપ્રવાસન શુલ્ક ૩૦૦ રૂ. જમા કરના હોગા।

ઘર કા સ્થાયી પતા : -

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

વર્તમાન પતા

આવેદક કે હરતાક્ષર

(નામ એવં પિતા કા નામ છાત્ર/છાત્રા સ્વયં ભરે)

શ્રી/શ્રીમતી/કુમારી.....

પિતા કા નામ

નામાંકન કિયા ગયા, નામાંકન અંક..... હૈ।

કુલસચિવ

महाविद्यालय कार्यालय के लिए

विद्यार्थी द्वारा अपने प्रपत्र में लिखा गया विवरण ऐसी जानकारी के अनुसार ठीक है कि प्रमाण-पत्रों की जिसके आधार पर प्रवेश दिया गया है कि वे स्वयं देखे हैं और उसकी भलीभांती जांच कर दी है। इस विद्यार्थी ने (परीक्षा का नाम) परीक्षा सत्र

- बोर्ड/वि.वि. से उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की है मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि वि.वि. से प्राप्त अन्य बोर्ड/वि.वि. परीक्षाओं की समकक्षता सूची के आधार पर यह कक्षा में प्रवेश की पात्रता रखता/रखती है।
2. विद्यार्थी को महाविद्यालय से तिथि को प्रवेश दिया गया है। छ.ग.वि.ति. अधिनियम 22 वाँ 1976 में वर्णित नियमों का पालन किया गया है। विलम्ब से प्रवेश देने के पूर्व कुलपति जी से वि.वि. के पत्र क्रमांक के द्वारा अनुमति प्राप्त कर ली है।

प्राचार्य के हस्ताक्षर
महाविद्यालय के मुहर

टीप -

1. इस नामांकन पत्र में लिखा गया विद्यार्थी का नाम उच्चतर माध्यमिक शाला का प्रमाण-पत्र (स्कूल सर्टिफिकेट) अथवा वि.वि./बोर्ड द्वारा निर्भाय प्रमाण-पत्र दिये गये अनुसार होना चाहिए।
2. नाम परिवर्तन हेतु प्रत्याशी हलफनामा व शुल्क जमा कर अनुमति प्राप्त करें।
3. इस आवेदन पत्र को छात्र/छात्रा स्वयं भरें एवं अंग्रेजित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।
4. छ.ग. बोर्ड को छोड़कर अन्य बोर्ड एवं वि.वि. से आए छात्रों को प्रवजन प्रमाण-पत्र मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
5. प्रत्येक छात्रों का नामांकन आवेदन पत्र नामावली घत्रक में नाम अंकित होना अनिवार्य है।
6. प्रत्येक छात्रों को हायर सेकेण्डरी की अंक सूची (सत्यापित) संलग्न करना अनिवार्य है।

ANNEXURE II
AFFIDAVIT BY PARENT/ GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. (full name of parent/ guardian) father/mother/guardian of student with admission/ registration/enrolment number), having been admitted to (name of institution) have received a copy of the UGC Regulations on curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009 (here in after called the Regulations) carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

- 2) I have in particular perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- 3) I have also in particular perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/ she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively or being part of a conspiracy to promote ragging.
- 4) I hereby solemnly aver and undertaken that
 - a) My ward will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clauses 3 of the Regulations.
 - b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- 5) I hereby affirm that if found guilty of ragging , my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
- 6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of abetting or being part of a conspiracy to promote ragging, and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this day of month of year. ,

Signature of deponent

Name.....

Address.....

Telephone/ M.No.....

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at..... (place) on this the(day) of (month)..... (year)

Signature of Depone

ANNEXURE I
AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I (full name of student with adm...
registration/ enrolment number) s/o d/o Mr./Mrs/Ms. (name of the
....., having been admitted to (name of the
institution) have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational
Institutions 2009 (hereinafter called the Regulations) Carefully read and fully understood the provisions contained
in the said Regulations.

- 2) I have in particular perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- 3) I have also, in particular perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging actively or passively or being part of a conspiracy to promote ragging.
- 4) I here by solemnly aver and undertake that
 - a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- 5) I here by affirm that if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that my be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
- 6) I hereby declare that I Have not been expelled or debarred from admission in any institution in the county on account of being found guilty of abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging: and further affirm that, In case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared thisday ofmonth ofyear.

Signature of deponent
Name.....

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and do part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at(Place) on this the(day) of(month).....(year)

Signature of deponent

શાસકીય મહાવિદ્યાલય વિશ્રમપુર, જિલ્લા-સૂરજપુર (છ.ગ.)
શુલ્ક તાલિકા સત્ર 2016-2017

શાસકીય એવં અશાસકીય શુલ્ક

શુલ્ક વિવરણ	સ્નાતક કલા	સ્નાતક વિજ્ઞાન
શિક્ષણ શુલ્ક	123/-	143/-
અવધાન રાશિ	60/-	100/-
સંઘ પ્રવેશ શુલ્ક	2/-	2/-
મિર્ધન છાત્ર કલ્યાણ શુલ્ક	5/-	5/-
પરિચય પત્ર	10/-	10/-
મહાવિદ્યાલય વિકાસ શુલ્ક	25/-	25/-
સાયકલ સ્ટૈણ્ડ શુલ્ક	10/-	10/-
કામન રૂમ/વાચનાલય	20/-	20/-
વિભાગીય શુલ્ક	-	-
આન્તરિક મૂલ્યાંકન શુલ્ક	40/-	40/-
ગ્રંથાલય પરિચય પત્ર શુલ્ક	0/-	0/-
જન ભાગીડારી શુલ્ક	400/-	400/-
મહાવિદ્યાલય છાત્ર સંઘ શુલ્ક	20/-	20/-
ક્રીડા શુલ્ક	22/-	22/-
સમીલિત નિધિ શુલ્ક	2/-	2/-
સ્નેહ સમ્પેલન /વાર્ષિકોત્સવ	50/-	50/-
ચિકિત્સા શુલ્ક	3/-	3/-
નામાંકન શુલ્ક	100/-	100/-
યુવા ગતિવિધિ શુલ્ક	17/-	17/-
શારીરિક કલ્યાણ શુલ્ક	150/-	150/-
વિ.વિ.પુસ્તકાલય	20/-	20/-
રેડ ક્રાસ શુલ્ક	25/-	25/-

महाविद्यालयीन गतिविधियां



महाविद्यालय परिसर में अनुशासन एवं स्वच्छता बनाएं रखें।




महाविद्यालय परिसर में पान, तम्बाखू, गुटखा, सिगरेट एवं अन्य मध्यपान आदि का उपयोग वर्जित है।

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर

जिला- सूरजपुर (छ.ग.)

2015-16

विवरणिका



CITIZEN - CHARTER

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर

जिला - सूरजपुर (छ.ग.)

सन्न : 2015-2016

- (1) प्रवेश लेने के लिये एक सप्ताह पश्चात् छात्र अपना प्रवेश पत्र सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्राप्त कर लें, तथा अपना परिचय-पत्र एवं लायब्रेरी कार्ड बनवा लें।
- (2) महाविद्यालय प्रशासन एवं पठन-पाठन में छात्राओं का सहयोग अनिवार्य है, महाविद्यालय के वातावरण में अशांति फैलाना दण्डनीय है।
- (3) कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
- (4) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र समय पर जमा करें।
- (5) परीक्षा फल घोषित होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्रवेश ले लें। विलंब से प्राप्त प्रवेश आवेदन पर विचार नहीं होगा।
- (6) प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही दिया जायेगा। जो आवेदक बाह्य दबाव के आधार पर प्रवेश पाने का प्रयास करेगा, उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- (7) अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, आन्दोलन/हड्डताल, हिंसक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण के दोषी पाये गये छात्र का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

परिचय-

पिलखा पहाड़ की हरियाली से सुशोभित, रेणुका नदी की पवित्र धारा से संतृप्त और काला हीरा के विशाल भण्डार को अपने गर्भ में सजोये हुए विश्रामपुर क्षेत्र में एक तरफ आदिवासी बाहुल्यता के कारण गांव जहां मांदर की थाप पर सुआ, कर्मा, शैला आदि लोक नृत्यों पर निरुक्त हुए नजर आते हैं, वहाँ विश्रामपुर भटगांव, कुम्दा में बसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आये कालरी कर्मियों में देश की विभिन्न सांस्कृतियों की झलक दिखाई देती है।

छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में स्थित धनधान्य से भरपूर विश्रामपुर क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले छात्र-छात्राओं एवं कालरी कर्मियों के पाल्यों की उच्च ज्ञान पिपासा को तृप्त करने के उच्च आदर्शों एवं लक्ष्यों के साथ दिनांक 28.8.2008 को विश्रामपुर में शासकीय महाविद्यालय का विघिवत शुभारंभ हुआ।

विश्रामपुर शहर कट्टनी-गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78 पर जिला मुख्यालय अम्बिकापुर से 28 किमी. पश्चिम तथा पुलिस जिला एवं तहसील मुख्यालय सूरजपुर से 12 किमी. पूर्व में स्थित है। यह शहर अनुपपुर - अम्बिकापुर रेलमार्ग का एक महत्वपूर्ण स्टेशन मार्ग भी है।

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर स्थापना के साथ ही कला, विज्ञान और वाणिज्य तीन संकाय के साथ प्रारंभ हुआ। वर्तमान में यह महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय से संबंध है।

सामान्य विवरण-

1. महाविद्यालय में तीन संकायों के अंतर्गत अध्ययन की सुविधा है – कला, विज्ञान एवं वाणिज्य। कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र एवं विज्ञान संकाय के अंतर्गत वनरपति शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित तथा वाणिज्य में सभी अनिवार्य विषय हेतु सुविधाएं उपलब्ध हैं।
2. महाविद्यालय के रुचारू रूप से संचालन हेतु अनुशासन समिति है जो महाविद्यालय में अनुशासन के संबंध में पूर्ण रूपेण अधिकृत है।
3. विभिन्न प्रकार के देय शुल्क, शुल्क मुक्ति, प्रवेश के नियम एवं मार्गदर्शन सिद्धांत, आचरण सहित छात्रवृत्तियों एवं शिष्यवृत्तियों की जानकारी छात्र सहायता निधि, अनुशासन संबंधी नियम, उपस्थिति एवं प्रवेश आवेदन प्रारूप की विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक विद्यार्थी एवं उनके पालक का कर्तव्य है कि इनसे भली-भौति अवगत हो।

विषय चयन में विश्वविद्यालय का बंधन-

सत्र 2015-16 में बी.ए. प्रथम वर्ष एवं बी.एस.सी. प्रथम वर्ष कक्षाओं ने प्रवेश देने हेतु विषयों के समूह बनाये हैं इसके अनुसार विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावेगा ये समूह निम्न हैं –

1. स्नातक -

1. अनिवार्य विषय – (1) आधार पाठ्यक्रम (2) पर्यावरण अध्ययन (केवल प्रथम वर्ष) –
2. बी.ए. प्रथम वर्ष – स्नातक स्तर के समस्त संकायों हेतु आवेदक निम्नांकित विषयों में से किन्हीं तीन विषय का चयन कर सकता है।
 (1) समाज शास्त्र (2) राजनीतिशास्त्र (3) हिन्दी साहित्य (4) अंग्रेजी साहित्य
3. बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित समूह) – भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित
4. बी.एस.-सी. प्रथम वर्ष (बायो समूह) – रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनरपति शास्त्र
5. कला/विज्ञान द्वितीय वर्ष में विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय कार्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए नार्दिशन सिद्धान्त सभा 2015-2016

1. प्रधानमंत्रित:-

- 1.1 ये नार्दिशन छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अस्थायी कार्यालय 6 एवं 7 के प्रवेशन के साथ सहिता करते हुए द्वारा होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करें।
1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कराई से पालन करना होगा। प्रवेश से आश्रित स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अध्ययन प्रथम समेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि:-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रभाग पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायें। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रभागित किये जाने पर जिन अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अस्थायी विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। केंद्रिका 5.1 (क)में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरण होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश द्वारा होने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जायें, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रभाग - पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक क ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ब में हो गया। इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अवधार प्रवेश लेना चाहता है स्वित स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ख ने स्थान (ब) के जहाँ उसके पालक का दायरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) अंस्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को ये प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अंतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आवेदन प्रवेश की माप्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से वन्याति प्राप्त होने पर ही वे हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौसिल द्वारा निर्धारित माध्यदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेकेशन (अधिकतम 4 सेकेशन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रदेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अईकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिकार देय है, वहाँ अधिकार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण - पत्र पर प्रवेश दिया गया है इदूर की ओहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय भैं प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति का निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाव स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जूलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की द्वितीय प्रति (कुप्लीफेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिय थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से बदन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ - साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेंजिंग /अनुशासनहीनता / तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहाँ कि छात्र /छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी / राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों के तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र / पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एच.एस.सी. प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्र को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम / द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश:-

- (क) बी.कॉम./बी.एच.एस.सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. काम./एम.एच.एस-सी./एम.ए. पूर्व एवं निवेदित विषय लेकर, बी.एस.सी.उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए.पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम/द्वितीय एवं एल.एल.एम.पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा :-

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40% तथा जहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, वहाँ 45% होगी। एल.एल.एम. पूर्वार्द्ध में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा:-

- 6.1 सेन्ट्रल बार्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) ईडियन कौसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बार्ड की 10 + 2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य हैं। उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की परीक्षा के मकान मान्य है। उसमानिया एवं काकतीय विश्वविद्यालय, जैसे बी.ए./बी.काम. डायरेक्ट वन सिटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं हैं।

- 6.3** सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं हैं की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 7.** **बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-**
- 7.1** स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम /बी.एस.-सी /बी.एच.एस-सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागु होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम /द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में प्रवेश की प्राप्तता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने की पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2** छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम ,द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।
- 7.3** विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
- 8.** अस्थायी प्रवेश की पात्रता खखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
- 8.1** स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की प्राप्तता होगी।
- 8.2** स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम /द्वितीय /तृतीय में पूरक /एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.3** विधि स्नातक प्रथम /द्वितीय में निर्धारित लाइगेट 48 % पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4** उपरोक्त केड़िका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5** पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावे।
- 9.** **प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-**
- 9.1** किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनःनियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आदेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनहूं नहीं माना जावे, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शास्त्र पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावे।
- 9.2** जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में अप्सराधिक प्रकारण घल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व रूप में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार /मारपीट करने के गंभीर आरोप हो /थेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।
- 9.3** महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले /रेंजिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश नदेश के लिये अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जॉच करवाये एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- (क)** स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। परन्तु आयु सीमा के बन्धन में छात्राओं के 3 वर्ष की छूट रहेगी।
- (ख)** आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार /भारत सरकार के मंत्रालय /कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागु नहीं होगा। प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन
- (ग)** विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी आयु 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- (घ)** संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ङ)** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी। पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी के उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश

की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का नियमित :-

- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर, तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता:-

- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक /स्नातकोत्तर /विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित /भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

- 11.2 स्नातक /स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र /स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

- 11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील /जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के सभी परस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर /तहसील /जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के सभी परस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान /तहसील /जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के सभी परस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा।

- 11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण:-

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

- 12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के क्रमशः 15 % तथा 18 % स्थान आरक्षित होगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। प्रवेश की अंतिम तिथि पर 5 बजे के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व.वर्ग से भरी जावेगी। इस हेतु प्राचार्य एक पाँच सदर्यीय समिति गठित करेंगे जिसमें एक जनभागीदारी के सदस्य रहेंगे। समिति अ.जा.एवं अ.ज.जा. के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. से गुणानुक्रम में भर कर सूची को सूचना पटल पर घस्पा करेंगे।

- 12.2 पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 % स्थान आरक्षित होगे।

- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 % स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों का 10 % अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा।

- 12.4 सभी वर्गों के उपलब्ध स्थानों में से 30 % स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार भेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विधार्थी किसी संवर्ग जैसे -स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी भानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जायेगी।

- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

- 12.7 समय-समय पर शासन द्वारा जानी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

13. अधिभार:-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद मे लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रमाण - पत्रों पर अधिभार हेतु विद्यार नहीं किया जायेगा, एकसे अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस./ स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स / गाइड्स / रेन्जर्स / सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

- (क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ए सर्टिफिकेट
- (ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. बी सर्टिफिकेट

02 प्रतिशत
03 प्रतिशत

या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

- (ग) सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

04 प्रतिशत

(घ) राज्य स्तरीय संचालनार्थीन एन.सी.सी.प्रतियोगिता में शूप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को

04 प्रतिशत

(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड मे छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को

05 प्रतिशत

(छ) राज्यपाल स्काउट्स

05 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स

10 प्रतिशत

(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट

10 प्रतिशत

(य) दृश्यक ऑफ एडिनर्वर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट

15 प्रतिशत

भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के

लिए घयनित एवं प्रवास करने वाले केडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिये घयनित करने वाले विद्यार्थियों को

15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम मे उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा मे उसी विषय मे प्रवेश लेने पर

10 प्रतिशत

13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष मे प्रवेश लेने पर

05 प्रतिशत

13.4 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / किञ्चित्/ रूपांकन प्रतियोगिताएँ :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभार स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता मे :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) मे उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अंतरसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रिय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता मे अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता मे :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं मे :-

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत

13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ अथवा विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला

क्षेत्र मे घयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत

13.6 छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे :-

(क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

13.7 जन्म काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आक्रितों को

01 प्रतिशत

13.8 विशेष प्रोत्साहन:-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित मे एन.सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेट्स तथा ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता मे भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र मे उन कक्षाओं मे सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है।

(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवका कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रापणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय मे प्रस्तुत

किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी हाँ एवं प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- 13.9 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले बार कमिटी सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विभाग तीन क्रमीक सत्र तक का प्रमाण-पत्र अधिभास हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र में प्रमाण-पत्र अधिभास हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अहंकारी परीभा में संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश घाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5% घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जा सकेगा, अधिभास घटें हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाहर वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीभा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्र:-

शासकीय महाविद्यालय में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुरपरवाईजर के अंतर्गत विश्वविद्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। शोध छात्र संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र इसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं। जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रिष्ठ किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रसित करेंगे।

16. विशेष:-

- 16.1 जाली प्रमाण पत्रों की गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश भिल गया है तब ऐसे निरस्त करने की पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होंगे।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरांक्षित निधि के अन्तिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरस्त / संलग्न कर सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

आवेदक पत्र क्रमांक ५६२

कक्षा

वर्गसमाप्ति/पि.वं./अ.ज./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक

रवत समूह

शासकीय महाविद्यालय, विश्रामपुर (सूरजपुर)

प्रवेश आवेदन पत्र 2015-2016

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में).....
2. पिता का नाम
माता का नाम
3. पिता/जीवित न हो तो अभिभावक का नाम
4. आवेदक की जन्म तिथि (अंकों में).....
(शब्दों में).....
5. आवेदक का स्थायी पता दूरभाष/मो.न.
6. आवेदक का स्थानीय पता दूरभाष/मो.न.
7. कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए
विषय - 1..... 2.....
3..... 4.....
8. अहताकारी परीक्षा का नाम
प्राप्तांक /पूर्णांक प्रतिशत.....

छात्र/ छात्राएँ अपनी
नवीनतम पासपोर्ट
साईज फोटो चिपकाएँ
एवं हस्ताक्षर करे

प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन/जांचोपरांत अस्थायी प्रवेश की
अनुशंसा की जाती है दिनांक तल
प्रवेश शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा।

प्रवेश संयोजक

कार्यालयीन उपयोग हेतु :-

शासकीय शुल्क रसीद क्र.	राशि
अशासकीय शुल्क रसीद क्र.	राशि
दिनांक		

शुल्क लिपिक

10. छत्तीसगढ़ में निवास की अवधि
11. शिक्षण संस्था गत वर्ष अध्ययन किया

12. अहंताकारी परीक्षा:- (विंगत दो वर्षों में उत्तीर्ण परीक्षा)

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्तांक पूर्णांक	श्रेणी	बोर्ड/वि.वि.का

13. सरगुजा विश्वविद्यालय का नीमांकन क्रमांक (यदि हो).....

14. खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस. आदि उल्लेखनीय उपलब्धियों का वर्णन

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा नाम

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची-

- स्थानांतरण प्रमाण- पत्र (मूल प्रति).....
- चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति).....
- अहंताकारी परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति (दो प्रति.).....
- अ.ज./अ.ज.जा./पि.वर्ग/ संबंधित प्रमाण - पत्र की सत्यापित प्रति (यदि आवश्यक हो).....
- छत्तीसगढ़ के तृतीय/चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (यदि आवश्यक हो तो)
- अन्य प्रमाण पत्र(ब्लड ग्रुप,खेल,एन.सी.सी.,एन.एस.एस. आदि).....
- जन्म तिथि प्रमाण- पत्र (10 वीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति)
- गरीबीरेखा से नीचे (BPL) का कार्ड की सत्य प्रतिलिपि

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं.....ने महाविद्यालय के नियमों एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा इसके पालन की प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं किसी भी अव्यवस्था या अनुशासन हीनता एवं हिसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लूँगा/लूँगी। मैं महाविद्यालय की देय राशि का समय पर भुगतान करता/करती रहूँगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में यदि कोई परिवर्तन होगा, तो मैं तुरन्त सूचना दूँगा/दूँगी। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है, मेरे विस्तृत विगत परीक्षा में, कोई अनुचित साथन प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। मेरे विस्तृत कोई व्यायालयीन प्रकरण नहीं घल रहा है।

यदि मैं अव्यवस्था अनुशासन हीनता, हिसात्मक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराधरण का दोषी पाया/पाई गई तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। मेरी अनुपस्थिति 75% से कम होने या ईकाई, ब्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित होने पर मुख्य परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने से बंचित होने का सम्पूर्ण लायित्व मेरा होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक.....

पूरा नाम.....

पिता/पालक का घोषणा पत्र

मैं.....यह घोषणा करता हूँ कि

मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्या (नाम).....

द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है। मैंने महाविद्यालय के नियमों का अध्ययन कर लिया है। महाविद्यालय में उसके अध्ययन काल में आचरण, कक्षाओं में उपस्थिति तथा फैन्डिनी, प्रणति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूँगा तथा इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को सहयोग देता रहूँगा।

पिता/पालक का हस्ताक्षर

दिनांक.....

पूरा नाम.....

इस आवेदन को ग्रंथालय में जमा करें

**कार्यालय (ग्रंथालय), प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर, जिला- सूरजपुर (छ.ग.)
ग्रंथालय सदस्यता आवेदन-पत्र 2015-2016**

सदस्य संस्था

रीडर्स कार्ड

संख्या

छात्र/छात्रा का नाम.....	कक्षा.....	पासपोर्ट
पिता श्री.....	सेवारत.....	साईज
विषय/संकाय.....	स्नातकोत्तर.....	फोटो
प्रवेश रसीद क्रमांक:- शासकीय.....	वार्ड संख्या.....	संलग्न करें।
दिनांक.....	थाना.....	
वर्तमान पता:- मकान नं.....	पोस्ट ऑफिस.....	
ग्राम/शहर.....	फोन नंबर.....	
तहसील.....	मोबाइल नंबर.....	
जिला.....	पिन कोड.....	
स्थायी पता:- मकान नं.....	वार्ड संख्या.....	
ग्राम/शहर.....	थाना.....	
तहसील.....	पोस्ट ऑफिस.....	
जिला.....	पिन कोड.....	
मै.....	आत्मज.....	मोबाइल नंबर.....
सेवसन.....	सत्र.....	कक्षा.....
हूं। मैं ग्रंथालय का नियमित सदस्य बनना चाहता हूं।	मैं.....	विषय में प्रवेश प्राप्त किया

सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने की स्थिति में पुस्तकों की वापसी जमा करने हेतु अनुबंधित हैं। ग्रंथालय के नियमों के पालन करने हेतु प्रतिबंधित हैं। प्रत्येक 14 दिवस के भीतर पुस्तकों की वापसी करने हेतु वचनवद्ध हैं। पालन न करने पर 14 दिवस पश्चात्-प्रथम सप्ताह-50 पैसे प्रति पुस्तक प्रति दिवस (21 दिवस) विलम्ब शुल्क का भुगतान करना है। दूसरे सप्ताह (28 दिवस तक) 1 रु. प्रति पुस्तक प्रतिदिन विलम्ब शुल्क अदा करना/करनी।

पुस्तक/पुस्तकें स्वच्छ/साफ-सुधरा रखना/रखनी। विद्युप होने पर अथवा पुस्तके / फटने/खराब होने पर पुस्तक का वर्तमान बाजार मध्य /पुस्तक गुणने के 7 दिवस की भीतर डाक व्यय सहित राहश जमा करना।

नियमानुसार पुस्तकें प्राप्त कर चेक कर घर ले जाउंगा/जाउंगी। प्रदाय की तिथि से पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तकों में आयी खराबी की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मेरे नाम ग्रंथालय की पूर्व पुस्तकें नहीं हैं।

अनुबंध-पत्र
पिता/पालक द्वारा
अरा जावे

मैं.....

.....आत्मज श्री.....
 अनुबंध करता हूँ कि मेरा पुत्र/पाल्य.....
कक्षा.....
 ग्रंथालय से प्राप्त पुस्तकों को नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर वापिस जमा करना रहेगा। तथा पुस्तकों को सुरक्षात्मक
 ढंग से रख-रखाव करता रहेगा। परीक्षा के एक माह पूर्व पुस्तकालय अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर-परीक्षा में सम्मिलित होगा।

स्थान:-.....

दिनांक.....

पिता/पालक के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....
 मकान नंबर.....
 वार्ड.....
 ग्राम/शहर.....
 पोस्ट ऑफिस.....
 पिन कोड.....
 फोन नं.....
 मोबाइल नंबर.....

सदस्यता स्वीकृति/अस्वीकृत किया जाता है।

ग्रंथपाल

प्राचार्य


શાસકીય મહાવિદ્યાલય વિશ્રામપુર, જિલ્લા-સૂરજપુર (છ.ગ.)

શુલ્ક તાલિકા સત્ર 2015-2016

શાસકીય એવં અશાસકીય શુલ્ક

શુલ્ક વિવરણ	રનાતક કલા	રનાતક વિજ્ઞાન
શિક્ષણ શુલ્ક	118/-	138/-
અવધાન રાશિ	60/-	100/-
સંઘ પ્રવેશ શુલ્ક	2/-	2/-
નિર્ધાર છાત્ર કલ્યાણ શુલ્ક	5/-	5/-
પરિચય પત્ર	10/-	10/-
મહાવિદ્યાલય વિકાસ શુલ્ક	25/-	25/-
સાયકલ સ્ટૈપ શુલ્ક	10/-	10/-
કામન રૂમ/વાચનાલય	20/-	20/-
વિભાગીય શુલ્ક	-	-
આન્તરિક મૂલ્યાંકન શુલ્ક	40/-	40/-
ગ્રંથાલય પરિચય પત્ર શુલ્ક	5/-	5/-
જન ભાગીદારી શુલ્ક	400/-	400/-
મહાવિદ્યાલય છાત્ર સંઘ શુલ્ક	20/-	20/-
ક્રીડા શુલ્ક	22/-	22/-
સમ્પ્રિલિત નિધિ શુલ્ક	2/-	2/-
રનેહ સમ્પ્રેલન /વાર્ષિકોત્સવ	10/-	10/-
ચિકિત્સા શુલ્ક	3/-	3/-
નામાંકન શુલ્ક	50/-	50/-
યુવા ગતિવિધિ શુલ્ક	17/-	17/-
શારીરિક કલ્યાણ શુલ્ક	120/-	120/-
વિ.વિ.પુરતકાલય	10/-	10/-
રેડ ક્રાસ શુલ્ક	25/-	25/-

टैगिंग दण्डनीय अपराध है



महाविद्यालय परिसर में पान, तम्बाखू, गुटखा, सिगरेट, मोबाइल
आदि का उपयोग वर्जित है।

Aakriti Printer's
Ambikapur - 9406131500